ज्ञाप संख्या ३/ एस २—१०४५/७४—१२९७८-का० ।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक,

श्री सी० आर० वेंकटरामन
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पटना-१५, दिनांक २२ जुलाई, १९७५ ।

विषय :— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुपालन के लिए संपर्क पदाधिकारी की नियुक्ति ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे यह कहना है कि सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों को प्रत्यक्ष नियुक्ति एवं प्रोन्नति में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक विभाग में कार्यरत पदाधिकारियों में से ही किसी संयुक्त सचिव या उप-सचिव, जो स्थापना संबंधी कार्यों के प्रभारी में हैं, को सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाय, जिन्हें यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि उनके विभाग / कार्यालय में आरक्षण संबंधी आदेशों का सही ढंग से पालन होता है अथवा नहीं । सम्पर्क पदाधिकारी का भी कर्त्तव्य होगा कि वे अपने विभाग में प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें कि रोस्टर पंजी खोल दी गई है और नियुक्ति उसी रोस्टर पंजी को मद्देनजर रखकर की जाती है ।

अनुरोध है कि अपने विभाग में नियुक्त किए गए सम्पर्क पदाधिकारी के नाम, पदनाम इस विभाग को अविलम्ब भेजने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,
ह०) —अस्पष्ट
सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-३ / एस २-१०४५ / ७४—१२९७८-का०
पटना १५, दिनांक २२ जुलाई, १९७५ ।

प्रतिलिपि— सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/—अस्पष्ट
कीर्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव ।

ज्ञाप संख्या १०२६१का०

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग।

संकल्प

विषय— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति सम्बन्धी सेवा आरक्षण का कार्यान्वयन करने के लिये जिला मुख्यालय के विभिन्न विभागो में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिये पदाधिकारी दल के गठन का प्रस्ताव।

भारतीय संविधान के उपबन्धों के आधार पर राज्य सरकार ने १९५३ से ही अपने अधीन सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों की नियुक्ति के लिये आरक्षण का उपबन्ध किया है और राज्य सरकार पर यह एक संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि सही ढंग से इसका कार्यान्वियन कराया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को सरकारी सेवाओं में विहित प्रतिशत में प्रतिनिधित्व मिल सके, राज्य सरकार के द्वारा समय-समय में सरकारी सेवाओं एवं पदों में संरक्षण सम्बन्धी अनेकों आदेश निर्गत किये गये हैं। लेकिन प्राय: यह पाया गया है कि नियुक्ति पदाधिकारियों के द्वारा आरक्षण आदेश ठीक से कार्यान्वित नहीं किये जाते हैं अतएव जिला मुख्यालय, अनुमंडल एवं प्रखंडों के सभी विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित सरकारी अनुदेशों का पालन पूर्ण निष्ठा और कड़ाई में हो इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग एवं कल्याण विभाग के पदाधिकारियों को लेकर दो दलों के गठन करने का निर्णय लिया है जो प्रमंडल एवं जिला में स्थित सरकार के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर जाँच करेगी कि जिला स्थित सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का कहाँ तक अनुपालन किया जा रहा है तथा इस दिशा में हुई प्रगति से सरकार को अवगत करायेगी। ये दो दल इस प्रकार गठित किए गए हैं :—

पहला दल— (१) उप-सचिव, कार्मिक विभाग

(२) सहायक निदेशक, कल्याण

(३) प्रशाखा पदाधिकारी या सहायक, कार्मिक विभाग

दूसरा दल— (१) उप-सचिव-सह-निदेशक, कल्याण विभाग

(२) अवर-सचिव, कार्मिक विभाग

(३) प्रशाखा पदाधिकारी या सहायक, कार्मिक या कल्याण विभाग

२। आवश्यकतानुसार इन दलों में पदाधिकारियों को घटाया बढ़ाया जा सकता है।

३। इन दलों के पदाधिकारियों को अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त इस समीक्षा का भार सौंपा गया है। इस दल के पदाधिकारी निम्नांकित बिन्दुओं पर किसी भी राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों की जांच करने को सक्षम होंगे :—

(१) जिस स्थापना/कार्यालयों की जांच करनी है उसका लोक बल क्या है और उसमें कितने सम्वर्ग हैं।

(२) प्रत्यक्ष नियुक्ति के मामले में १९५३ से और प्रोन्नति के मामलों में १२ जून, १९७१ के बाद की नियुक्तियों में आरक्षण का विहित प्रतिशत हर सम्वर्ग में पूरा किया गया है अथवा नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचनाओं की पुष्टि एक्वीटेन्स रोल, वगैरह को देखकर करना।

(४) सम्वर्गानुसार कर्मचारियों की संख्या एवं उससे अनुसूचित जाति/जन-जाति की संख्या।

(५) आरक्षण के अनुसार अपेक्षित प्रतिशत, खासकर तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों में। यदि नहीं तो क्या कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ५३०५, दिनांक १० अप्रील, १९७३ के अनुसार कुल रिक्तियों का ५० प्रतिशत पद इनके लिये आरक्षित किया गया है ताकि इनके आरक्षण का कोटा पूरा हो सके। यदि नहीं, तो क्यों ?

(६) रोस्टर का अनुपालन होता है अथवा नहीं। यदि हां, तो वह विहित प्रपत्र में पंजीबद्ध रूप में खोला गया है अथवा नहीं।

(७) आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन करनेवाले पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारंवाई करने के लिये सिफारिश।

(८) प्रोन्नति के मामले में हर सम्वर्ग में कालावधि का निर्धारण है अथवा नहीं। यदि नहीं, तो क्यों ?

(९) सुरक्षित पदों को अनरक्षित करने के पूर्व कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाता है अथवा नहीं।

(१०) जिला कार्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति भर्त्ती के आंकड़ों की संकलित विवरणी विहित प्रपत्र में सरकार को निश्चित समय पर भेजी है अथवा नहीं।

(११) आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का विश्लेषण एवं हर क्षेत्रीय कार्यालय में उनका प्रचार-प्रसार सम्बन्धी आवश्यक कार्य।

उपरोक्त समीक्षाओं के प्रसंग में इन दलों को यह प्राधिकार होगा कि समय-समय पर जिलाधिकारी या अन्य विभागों में उच्चतम क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अधीनस्थ किसी पदाधिकारी की समीक्षा की सहायता हेतु प्रतिनियुक्ति करवा सके एवं उनका सहयोग प्राप्त कर सके।

आदेश— आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, लोक-सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई के लिये भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
कीर्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या १०२६१-का०।

पटना-१५; दिनांक १२ जून, १९७५/२२ ज्येष्ठ, १८९७ (स०)।

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, रांची/लोक सेवा आयोग/एवं सरकार के प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

कीर्ति नारायण,
सरकार के उपसचिव।

पत्र संख्या ११ / आर १-१११/७५—१०१३२-का० ।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक,

श्री सी० आर० वेंकटरामण,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष ।

पटना-१५, दिनांक १० जून, १९७५ ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय में मुझे नियुक्ति विभाग के संकल्प संख्या ३६१७, दिनांक २४ फरवरी, १९७१ की कंडिका १ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना है कि उक्त संकल्प में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हरिजन एवं आदिवासियों के लिए जो रिक्तियां हैं, वे यदि सुरक्षित जाति के योग्य उम्मीदवारों के अभाव से न भरी जा सकी हों, तो उन्हें तीन भर्त्ती वर्षों तक अग्रानीत (कैरी फारवर्ड) की जाय तथा इस बीच में फिर से विज्ञापन निकाला जाय। अगर फिर से विज्ञापन निकालने के बाद भी समुचित संख्या में वे उपलब्ध नहीं हों तब पदों को कैरी फारवर्ड (अग्रानीत) करते रहा जाय। तृतीय वर्ष अगर यह पाया जाय कि सुयोग्य हरिजन उम्मीदवार हरिजन पद के लिए या सुयोग्य आदिवासी उम्मीदवार आदिवासी पद के लिए उपलब्ध नहीं है तो हरिजनों के लिये सुरक्षित पद पर आदिवासियों को और आदिवासियों के लिए सुरक्षित पद पर हरिजनों को बहाल किया जाय। लेकिन व्यावहारिक रूप में यह देखा जाता है कि लगभग शतप्रतिशत मामलों में प्रशासी विभाग तीन भर्त्ती वर्षों तक पदों को रिक्त नहीं रखकर जनहित में तत्काल उनको गैर-सुरक्षित व्यक्तियों से भरने की प्रक्रिया अपनाते हैं। फलतः कार्मिक विभाग का यह आदेश है कि पदों को तीन भर्त्ती वर्षों तक रिक्त रखने एवं विज्ञापन निकालने के बाद भी यदि कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो हरिजन के स्थान पर आदिवासी एवं आदिवासी के स्थान पर हरिजन की नियुक्ति की जाय, वस्तुतः व्यर्थ एवं अनुपयोगी हो जाता है। प्रासंगिक पत्र में सिर्फ यह निदेश है कि यदि तीन वर्षों तक पद को जनहित में रिक्त नहीं रखा जा सके तो मुख्यमन्त्री/मन्त्रिपरिषद के द्वारा यह निर्णय लिया जाय कि इस पर तुरत नियुक्ति की जाय अथवा नहीं। इसका यह अर्थ लगा लेना कि उक्त पद को तुरत भरने हेतु किसी गैर-सुरक्षित व्यक्ति को ही नियुक्त करना है, सही नहीं है।

२। अतः अनुरोध है कि यदि सीधी भर्त्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा सुरक्षित पदों पर तत्काल नियुक्ति करने की स्थिति आवे तो मंत्रिमंडल के समक्ष किसी गैर-सुरक्षित व्यक्ति की नियुक्ति का संलेख भेजने के पूर्व कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त करने के समय प्रशासी विभाग को यह देख लेना चाहिए कि हरिजनों के लिये सुरक्षित पद पर आदिवासी एवं आदिवासियों के लिये सुरक्षित पदों पर हरिजन उम्मीदवार उपलब्ध हैं अथवा नहीं। यदि सुयोग्य हरिजन उम्मीदवार हरिजनों के लिये सुरक्षित पद के लिये उपलब्ध नहीं हो एवं सुयोग्य आदिवासी उम्मीदवार आदिवासियों के लिये सुरक्षित पद के लिये उपलब्ध नहीं हो तो हरिजनों के लिये सुरक्षित पद पर आदिवासियों को एवं आदिवासियों के लिये सुरक्षित पद पर हरिजनों को नियुक्त किया जाय। इसके बावजूद भी यदि सुरक्षित पदों के लिये योग्य सुरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उक्त पद को किसी गैर-सुरक्षित व्यक्ति से भरने के प्रस्ताव में कार्मिक विभाग की पूर्व के अनुसार सहमति प्राप्त की जाय।

विश्वासभाजन,

सी० आर० वेंकटरामन,

सरकार के सचिव, कार्मिक विभाग।

पत्र संख्या—३ /एस २—१०११/७३—७७७७ का० ।

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग ।

प्रेषक,

श्री सी० आर० वेंकटरामण
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग / विभागाध्यक्ष ।

पटना—१५, दिनांक ९ मई, १९७५ ।

विषय— सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति अपेक्षित है ।

प्रसंग— (१) नियुक्ति विभाग का पत्र संख्या ११५१९, दिनांक १० जुलाई, १९७० ।
(२) नियुक्ति विभाग का पत्र संख्या २१०७, दिनांक ८ फरवरी, १९७२ ।
(३) कार्मिक विभाग का पत्र संख्या २०४४३, दिनांक १३ नवम्बर, १९७२ ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि उपरोक्त विषयक ऊपर वर्णित प्रासंगिक पत्रों में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति द्वारा किसी राजपत्रित पदाधिकारी की नियुक्ति में मन्त्री परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व कार्मिक विभाग की सहमति अवश्य ले ली जाय जिससे कार्मिक विभाग द्वारा पूरी जांच के बाद इस बात की सम्पुष्टि हो जाय कि सम्बन्धित विभाग का प्रस्ताव हर प्रकार से नियमानुकूल है, एवं हरिजनों तथा आदिवासियों के आरक्षण के सम्बन्ध में सब पहलुओं पर भलीभांति विचार कर लिया गया है । बल्कि प्रासंगिक अन्तिम पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन राजपत्रित पदाधिकारी के मामले में मन्त्रिपरिषद की सहमति आवश्यक नहीं है उनमें भी अन्तिम आदेश प्राप्त करने के पूर्व कार्मिक विभाग की सहमति अवश्य ले ली जाय ।

२ । इधर यह देखने में आ रहा है कि इन अनुदेशों के बावजूद कुछ विभाग सीधी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के मामलों के संलेख बिना कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त किये ही मन्त्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय के पास भेज दिया करते हैं । कभी-कभी भूल से मंत्रिमंडल सचिवालय भी ऐसे प्रस्तावों को कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त करने हेतु विभाग को नहीं लौटाकर मंत्रिपरिषद की कार्यावली में सम्मिलित कर लेता है । फलतः कार्मिक विभाग यह जांच नहीं कर पाता कि संलेख में दिया गया प्रस्ताव आरक्षण नियमों के सम्बन्ध में नियमानुकूल था अथवा नहीं । ऐसे मामलों को लेकर विधान-सभा / परिषद तथा अन्य गैर-सरकारी समितियों में राज्य सरकार की काफी कटु आलोचना हुआ करती है ।

३ । अतएव अनुरोध है कि उपर्युक्त परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों का भविष्य में ठीक-ठीक पालन किया जाय एवं किसी भी राजपत्रित पद से संबंधित सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति का प्रस्ताव बिना कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त किये मंत्रिमंडल सचिवालय को नहीं भेजा जाय ।

विश्वासभाजन,
सी० आ० वेंकटरामण,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या ३/एस० २-१०११ / ७३—७७७७-का० ।

पटना-१५, दिनांक ९ मई, १९७५

प्रतिलिपि— मंत्रिमंडल सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

सी० आर० वेंकटरामण,
सरकार के सचिव ।

संख्या—११/आ १-११३/७५ —७५०१-का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक,

श्री शरण सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष।

दिनांक २९ अप्रील, १९७५।

विषय — राज्य सरकार की सेवाओं के सभी सम्वर्गों के आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि भारत सरकार की नीति पर आधारित इस राज्य सरकार ने भी प्रासंगिक विषय पर समय-समय पर आदेश निर्गत किये हैं, जिससे राज्य सरकार की सभी सेवाओं के सम्वर्गों में अनुसूचित जाति/जन-जाति के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इन नियमों एवं आदेशों में सन्निहित मुख्य बातों का संकलन कर यथानुसार कार्रवाई के लिए नीचे दिया जाता है :—

१। राज्य सेवा के सभी वर्गों के पदों में सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति द्वारा की जानेवाली नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए क्रमश: १४ प्रतिशत एवं १० प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।

२। हाल में कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या १९६२९, दिनांक ४ अक्तूबर १९७४ के द्वारा राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सेलेक्शन ग्रेड (प्रवर कोटि) के पदों पर नियुक्ति भी प्रोन्नति मानी जायगी तथा प्रोन्नति के मामले में आरक्षण संबंधी सरकार का जो आदेश है वह लागू होगा।

३। नियुक्ति विभाग का आदेश संख्या १६१०, दिनांक ११ फरवरी १९६५ में ६०९५, दिनांक २ मई १९६७ में यह उपबन्ध था कि अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिए आरक्षित अपूर्ण रिक्तियों को दो कलेण्डर वर्षों तक अवश्य ले जाया जाय। लेकिन भारत सरकार की तरह ही नियुक्ति विभाग के आदेश संख्या १९८६७, दिनांक २१ नवम्बर १९७० द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिए जो स्थान सुरक्षित रखे गए हैं वे यदि किसी कारणवश नहीं भरे जा सके हों तो उन्हें दो पंचांग वर्ष के बदले तीन भर्त्ती वर्षों तक ले जाया जाय। अगर जनहित में इन पदों को तुरंत भरना आवश्यक हो तो कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ४६०४, दिनांक १५ मार्च १९७१ के अनुसार उसे भरने के प्रस्ताव में कार्मिक विभाग की सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। उसमें यह देख लेना है कि यदि हरिजन के बदले आदिवासी या आदिवासी के बदले हरिजन उपलब्ध हों तो पद को अनारक्षित जाति से नहीं भरकर सर्वप्रथम हरिजन के बदले आदिवासी या आदिवासी के बदले हरिजन उम्मीदवार से ही भरने का प्रयास करना चाहिए।

४। सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति से भरे जानेवाले राजपत्रित पदों पर नियुक्तियों में मंत्री परिषद की सहमति प्राप्त करने के पहले कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक है। सरकार को इधर कुछ ऐसे मामले दृष्टिगोचर हुए जिनमें संबंधित विभागों ने कार्मिक विभाग की बिना सहमति प्राप्त किये हुए ही संलेख को मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया है और मंत्रिमंडल सचिवालय ने भी भूलवश उसे मंत्रि परिषद की कार्यावली में सम्मिलित कर लिया है जो अनियमित है। कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ११५१६, दिनांक १० जुलाई १९७० एवं २१०७, दिनांक ८ फरवरी १९७१ द्वारा यह आदेश निर्गत किया जा चुका है कि प्रत्यक्ष नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में मंत्रि परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व कार्मिक विभाग की सहमति निश्चित रूप से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

५। बहुधा इस तरह के विज्ञापन देखे जाते हैं जिसमें आरक्षित पदों की संख्या का उल्लेख नहीं रहता है। कभी-कभी विज्ञापन में यह लिखा रहता है कि अनुसूचित जाति/जन-जाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायगी। यह ठीक नहीं है। प्रत्येक विभाग एवं नियुक्ति पदाधिकारी को लोक-सेवा आयोग अथवा नियोजनालय को मांग-पत्र भेजते समय स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देना है कि कितने पद किस जाति के लिए आरक्षित हैं। कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या २५९९६, दिनांक २३ दिसम्बर १९७४ के द्वारा सरकार ने यह भी आदेश निर्गत किया है कि सरकार के विभागों द्वारा नियोजनालय को भेजे गये मांग-पत्र तथा स्वयं निकाले गए विज्ञापन की प्रतियां कार्मिक विभाग को अवश्य भेज दें ताकि यह जांच हो सके कि पदों का विज्ञापन उचित ढंग से हुआ है अथवा नहीं।

६। कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ५३०५, दिनांक १० अप्रील १९७३ के द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया है कि जबतक अनुसूचित जाति/जन-जाति के सदस्य उनके लिए निर्धारित प्रतिशत का अनुपात हासिल नहीं कर लेते हैं तबतक उनके लिए तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय रिक्तियों का ५० प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा। इस आधार पर की जानेवाली नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जाति के लिए ३० प्रतिशत और अनुसूचित जन-जातियों के लिए २० प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायंगे। जहां तक प्रमण्डलों एवं जिलों का सवाल है उक्त संकल्प की विवरणी २ में प्रतिशत का निर्धारण कर सभी प्रमण्डलायुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारियों को आवश्यक सूचना दे दी गयी है। हाल ही में कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ४६१८, दिनांक १३ मार्च १९७५ के द्वारा राजपत्रित वर्ग १ एवं २ में भी २५ प्रतिशत एवं २० प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का निर्देश निर्गत किया जा चुका है।

७। साधारणत: यह देखा जाता है कि जहां किसी संवर्ग में केवल एक ही रिक्ति है तो विभाग बराबर उस पद को गैर-सुरक्षित व्यक्ति से भरने का प्रस्ताव दे दिया करते हैं। लेकिन कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ४६९, दिनांक १२ जनवरी १९७१ के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विशेष अवसर पर एक ही रिक्ति हो तो उसे गैर-सुरक्षित व्यक्ति द्वारा भरा जा सकता है लेकिन दूसरी बार उसी संवर्ग में यदि फिर एक रिक्ति होती है तो उसे सुरक्षित व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए।

८। किसी छोटे संवर्ग में एक अलग पद का धारक एक समय किसी एक ही समुदाय का सदस्य हो सकता है और उसे छोटे सम्वर्ग में रिक्तियां इतनी पर्याप्त रफ्तार में नहीं हो सकती हैं कि अनुसूचित जाति / जन-जाति को पूरा-पूरा प्रतिनिधित्व उस सम्वर्ग में मिल सके। इस कठिनाई को दूर करने के लिए नियुक्ति विभाग के परिपत्र संख्या ९९०९, दिनांक १३ जनवरी १९५३ में यह आदेश निर्गत किया जा चुका है कि समान स्थिति एवं वेतन के अनुसार पदों का समूहीकरण कर लिया जाय। राज्य सरकार के अधीन पदों को श्रेणी १, २, ३ और ४ में पहले ही वर्गीकृत किया जा चुका है। अत: समूहीकरण में इस वर्गीकरण के बाद कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एकांकी पदों के समूहीकरण में यदि कोई कठिनाई हो तो उसमें सुविधानुसार कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जा सकती है।

९। सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के मामलों में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की हर सेवाओं में नियुक्ति के लिए रोस्टर पंजी को रखना आवश्यक है, लेकिन कार्मिक विभाग के लगातार अनुरोध एवं सभी संचिकाओं में रोस्टर उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध के बावजूद भी इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। रोस्टर का एक नमूना १९७४ में प्रकाशित पुस्तिका में दिया गया है जिसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलायुक्त एव सभी जिलाधिकारी को भेज दी गयी है।

मोटे रूप से यह रोस्टर इस प्रकार बनाया जायगा :—

	रक्षण का ब्योरा।
अनुसूचित जाति	१४ प्रतिशत।
अनुसूचित जन-जाति	१० प्रतिशत।

(१) पूर्व वर्ष से अग्रानीत पदों की संख्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति।

(२) नियुक्ति वर्ष में रोस्टर किस बिन्दु से शुरू होगी।

क्रम संख्या ।	पदनाम ।	अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित ।	अनुसूचित जन-जाति के लिए सुरक्षित ।	गैर-सुरक्षित जातियों के लिए ।	नियुक्त व्यक्ति का नाम ।	नियुक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति जन-जाति या गैर-सुरक्षित जाति के हैं ।	यदि सुरक्षित पद पर गैर-सुरक्षित व्यक्ति की नियुक्ति हुई है तो उसका कारण ।	कार्यालय प्रधान नियुक्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर
१	२	३	४	५	६	७	८	९

१० । चूंकि सभी प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण संबंधी नियम लागू होंगे इसलिए निम्न कोटि से उच्च कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए कालावधि का निर्धारण आवश्यक है। बहुत से विभागों से कालावधि निर्धारण संबंधी अनुशंसा अप्राप्त है और जिन विभागों से कालावधि निर्धारण सम्बन्धी जो अनुशंसाएँ प्राप्त हुई हैं वे प्रायः इतनी लम्बी है कि सुरक्षित जाति के सदस्यों को प्रोन्नति में लाभ मिलने की गुंजाइश बहुत कम है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्षों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या ९२७७, दिनांक २९ मई १९७१ एवं मुख्य सचिव के पत्र संख्या १८३०३, दिनांक ८ दिसम्बर १९७३ द्वारा अनुरोध किया गया था कि वे अपने यहां निर्धारित कालावधि को पुनरीक्षित कर प्रस्ताव में कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त कर लें। लेकिन सरकार के किसी विभाग ने ऐसा नहीं किया है और यह प्रायः सभी विभागों में लम्बित है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के उन सम्वर्गों के लिए भी ऐसी कालावधि का निर्धारण हो जाना चाहिए जिसमें उन सम्वर्गों के नियुक्ति पदाधिकारी चाहे वे जिला या प्रमंडल स्तर के उच्च पदाधिकारी हों, जिसमें प्रोन्नति करते समय उन जतियों को इसका लाभ मिल सके।

११ । राज्य सरकार ने सिद्धान्त रूप में यह मान लिया है कि सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी जिन नियमों का पालन सरकार के सभी विभाग करते हैं उन्हीं नियमों एवं आदेशों का अनुपालन राज्य सरकार के सभी अर्द्ध-सरकारी संस्थान तथा लोक उपक्रम अपने यहां की सेवाओं में करें। नियुक्ति विभाग के परिपत्र संख्या २१७४८, दिनांक ६ दिसम्बर १९७२ के द्वारा सरकार के सभी विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ लोक उपक्रमों एवं अर्द्ध-सरकारी निकायों में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को अपनावें और उसका अनुपालन करें। इस सम्बन्ध में सरकार के सभी विभागों को मई और सितम्बर १९७४ में स्मार भी निर्गत किए गए और उनसे अनुरोध किया गया कि की गयी कारंवाई की सूचना कार्मिक विभाग को दें। लेकिन किसी विभाग से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

१२ । अतएव अनुरोध है कि सभी नियुक्तियों में चाहे वह सीधी नियुक्ति हो अथवा प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हो, उपरोक्त आदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाय।

विश्वासभाजन,
सरूप सिंह
मुख्य सचिव

ज्ञाप संख्या ७५०१

पटना, दिनांक २९ अप्रील १९७५

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित। सभी विभाग/विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय नियुक्ति पदाधिकारियों को इसकी सूचना दे दें।

कीर्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव।

8.3657

पत्र संख्या ११/आर१-२३७/[illegible]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक

श्री पूरनमल मित्तल,
सरकार के उपसचिव,

सेवा में

सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलायुक्त

सभी जिलाधिकारी

सभी अनुमंडल पदाधिकारी।

पटना १५, दिनांक १[illegible] जून, १९७[illegible]

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि गोंड (Gond) और गोड़ (Gour) जाति के आदिवासी होने के सुविधा देने के लिये राज्य सरकार ने तीन सदस्यों की एक समिति कल्याण विभाग के संकल्प सं० १०१२७, दिनांक २८ सितम्बर, १९[illegible] तथा सं० [illegible], दिनांक २ दिसम्बर, १९७७ द्वारा गठित की है।

इस समिति ने दिनांक ८ फरवरी, १९७८ को अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया है जिस पर कार्मिक विभाग ने काफी छान-बीन कर यह निर्णय लिया है कि गोंड (Gond) जाति बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है जो साधारणतः छोटानागपुर प्रमंडल में पायी जाती हैं। बिहार के अन्य क्षेत्र में गोड़ (Gour) जाति के लोग हैं जो भूंजा भूंजने तथा सवारी सामान ढोने का कार्य करते है। समिति ने प्रतिवेदन में कहा है कि गोंड़ (Gour) जाति को आदिवासी होने का कोई रीति-रिवाज सभ्यता, संस्कृति तथा वंश परम्परागत बात का लक्षण नहीं मिल पाया है लेकिन आदिवासी गोंड (Gond) जाति को मिलनेवाली सारी सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने को आदिवासी गोड़ (Gour) कहने का दावा करते हैं। गोंड़ (Gour) जाति को पिछड़ी जाति माना जा सकता है। राज्य सरकार चाहती है कि अनुमान्य सुविधा केवल उन्हींको मिले जो वास्तव में गोंड (Gond) आदिवासी हैं, न कि मिलता-जुलता नाम गोंड Gour) जाति को। अतः यह सरकार ने भली-भांति जांच के बाद निर्णय लिया है कि छोटानगपुर में रहनेवाले गोंड (Gond) को केवल अनुसूचित जनजाति की सभी सुविधा प्रदान होगी। बिहार के अन्य भाग में रहनेवाले गोड़ (Gour) जाति को पिछड़ी जाति की सुविधा मिलेगी।

भविष्य में इस निर्णय को कड़ाई से पालन किया जायेगा तथा अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को सूचित कर दिया जाय।

विश्वासभाजन,
पूरनमल मित्तल,
सरकार के उपसचिव।

पत्र संख्या ११/ग्रां १-१०१२/७८ का०—१२१

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक

श्री पूरनमल मित्तल,
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिलाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक २१ मई, १९७८

विषय— आदिवासियों के लिये आरक्षित पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी विज्ञापन रांची से प्रकाशित पत्र "इलधर" एवं "रांची एक्सप्रेस" द्वारा विज्ञापित कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि आमतौर पर सरकारी एवं अर्द्ध-सरकार संस्थाओं में नियुक्ति के लिये विज्ञापन राज्य स्तर के समाचार पत्रों में दिया जाता है। ये विज्ञापन आदिवासी क्षेत्र के आदिवासियों तक नहीं पहुंच पाते हैं।

उपर्युक्त तथ्य के आलोक में सरकार ने निर्णय लिया है कि आदिवासियों के लिये आरक्षित पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी विज्ञापन रांची से प्रकाशित होनेवाले पत्र 'हलधर' एवं 'रांची एक्सप्रेस' में भी विज्ञापित करायी जाय। तदनुसार निवेदित है कि अब से प्रकाशित कराये जानेवाले विज्ञापन में उक्त निर्णय के अनुसार अमल किया जाय।

विश्वासभाजन,

पूरनमल मित्तल,

सरकार के उप-सचिव

पत्र संख्या ११ / ब-२-१०१/२७५—का०

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

प्रेषक,

श्री पूरनमल मित्तल,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग / विभागाध्यक्ष,

पटना-१५, दिनांक ११ मई, १९७८।

विषय :— विभिन्न विभागों में आरक्षण सम्बन्धी कार्य की देख-रेख हेतु हरिजन आदिवासी विधायकों की समिति का गठन।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिये सरकारी सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धी अनुदेशों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी जांच के लिये राज्य सरकार ने आरक्षण सम्बन्धी कार्य की देख-रेख के लिये विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति विधायकों की समिति गठित की है जिसकी सूचना इसके साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

कृपया विभाग की ओर से समिति को सारी सुविधाएं प्रदान करने की कृपा करें।

२. समिति प्रत्येक ३ महीने में नियुक्ति एवं प्रोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति / जन जाति के आरक्षण सम्बन्धी मामलों पर विचार कर अपना प्रतिवेदन दे सकती है।

पूरनमल मित्तल,
सरकार के उप-सचिव

ज्ञाप संख्या ११ब १-१०१/७८-का० —२७५

पटना-१५, दिनांक ११ मई, १०७८

प्रतिलिपि समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित।

पूरनमल मित्तल,
सरकार के उप-सचिव

विभिन्न विभागों में आरक्षण सम्बन्धी कार्य देख-रेख हेतु हरिजन/ आदिवासी विधायकों की समिति।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

(१) श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स० वि० स०—संयोजक
(२) श्री कुंवर राम, स० वि० प०
(३) श्री करम चन्द भगत, स० वि० स०

गृह विभाग

(१) श्री कार्तिक कुमार, स० वि० स०
(२) श्री पलटन राम, स० वि० स०
(३) श्री [illegible] भगत, स० वि० प०—संयोजक

कार्मिक विभाग

(१) श्री पशुपति कुमार, स० वि० स०—संयोजक
(२) श्री नन्द किशोर प्रसाद, स० वि० स०
(३) श्री शम्भु चरण सुबिद, स० वि० प०

वित्त विभाग

(१) श्री जगदीश चौधरी, स० वि० स०
(२) श्री मुंगेरी लाल स० वि० प०
(३) श्री वीर सींग मुंडा, स० वि० स०—संयोजक

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(१) श्री नवीना चौधरी, स० वि० स०—संयोजक
(२) श्री फुदेनी प्रसाद, स० वि० स०
(३) श्री इन्द्र नाथ भगत, स० वि० स०

उत्पाद विभाग

(१) श्री मुनेश्वर चौधरी, स० वि० स०
(२) श्री अवधेश्वर राम, स० वि० प०
(३) [illegible], स० वि० स०—संयोजक

श्रम एवं नियोजन विभाग

(१) श्री हीरा राम तूफानी, स० वि० स०—संयोजक
(२) श्री पीताम्बर पासवान, स० वि० स०
(३) श्री बरजु हांसदा, स० वि० स०

कल्याण विभाग

(१) श्री उपेन्द्र नाथ दास, स० वि०स०
(२) श्री शुकर रविदास, स० वि० स०
(३) श्री जगन्नाथ बकिरा, स० वि० स० – संयोजक

वन विभाग

(१) श्रीमती भागवती देवी, स० वि० स०— संयोजक
(२) श्री नवल किशोर ऋषिदेव, स० वि० स०
(३) श्री साईमन मराण्डी; स० वि० स०

शिक्षा विभाग

(१) श्री ईश्वर दास, स० वि० स०
(२) श्रीमती वीणा रानी, स० वि० स०
(३) श्री सुखाड़ी ऊरांव, स० वि० स०
(४) श्री शामु चरण तुबिद, स० वि० स० –संयोजक

स्वास्थ्य विभाग

(१) श्री नन्द किशोर प्रसाद, स० वि० स०—संयोजक
(२) श्री राम सुन्दर दास, स० वि० स०
(३) श्री मदन बेसरा, स० वि० स०

उद्योग विभाग

(१) श्री नयन तारा दास, स० वि० स०
(२) श्री सीता राम पासवान, स० वि० स०
(३) श्री रत्नाकर नायक, स० वि० स०—संयोजक

खान एवं भूतत्व विभाग

(१) श्री सीता राम दास, स० वि० स०
(२) सुश्री श्यामा कुमारी, स० वि० स०
(३) सनातन सरदार, स० वि० स०

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

(१) श्री अधिक लाल पासवान, स० वि० स०
(२) श्री अम्बिका प्रसाद, स० वि० स०
(३) टीकाराम मांझी, स० वि० स०—संयोजक

योजना एवं विकास विभाग

(१) श्री रामकरण पासवान, स० वि० स० संयोजक
(२) श्री नरेश दास, स० वि० स०
(३) श्री जयराम उरांव, स० वि० स०

कृषि विभाग

(१) श्री रामप्रीत पासवान, स० वि० स०
(२) श्री तुलसी राम, स० वि० स०
(३) श्रीमती जायेश्वरी, स० वि० प०
(४) श्री परमेश्वर हेम्ब्रम, स० वि० स०—संयोजक

पशुपालन विभाग

(१) श्री राम बचन पासवान, स० वि० स०—संयोजक
(२) श्री सीता राम प्रसाद, स० वि० स०
(३) श्री कार्तिक उरांव, स० वि० स०

सहकारिता विभाग

(१) श्री बाल बोध पासवान, स० वि० स०
(२) श्री नरसिंह बैठा, स० वि० स०
(३) श्री यमुना सिंह, स० वि० स०—संयोजक

नागरिक विकास विभाग

(१) श्री फूलचन्द राम, स० वि० स०—संयोजक
(२) श्री रामचन्द्र पासवान, स० वि० स०
(५) श्री देवी लाल माटोसोम, स० वि० स०

सिंचाई विभाग

(१) श्री कमल पासवान, स० वि० स०
(२) श्री जमुना राम, स० वि० स०
(३) श्री राम लगन राम, स० वि० स०
(४) श्री सनातन सरकार, स० वि० स०—संयोजक

विद्युत विभाग

(१) श्री राम कृष्ण राम, स० वि० स०—संयोजक
(२) श्री राम जतन पासवान, स० वि० स०
(३) निर्मल कुमार बेसरा, स० वि० स०

लोक-निर्माण विभाग

(१) श्री दिनेश्वर प्रसाद, स० वि० स०
(२) श्री बाबू लाल; स० वि० स०
(३) श्री बाबूलाल किस्कू, स० वि० स०—संयोजक

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

(१) श्री राम देव राम, स० वि० स०—संयोजक
(२) श्री श्यामा कुमारी, स० वि० प०
(३) श्री बेनजामीन मुरमू, स० वि० स०

विधि विभाग

(१) श्री सुरेन्द्र राम, स० वि० स०
(२) श्री राम दास राम, स० वि० स०
(२) श्री विश्वनाथ मुरमू, स० वि० स०—संयोजक

पत्र संख्या ११/ स १-१२५/७६ का०—२८१

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

प्रेषक,

श्री कीर्त्ति नारायण,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक २१ सितम्बर, १९७६।

विषय — अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों के लिए विभिन्न सेवाओं एवं पदों में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर एक नियोजन समिति का गठन।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि पिछड़ा वर्ग की अन्तरिम अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि राज्य स्तर पर एक कल्याण समिति का गठन किया जाय जो सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायती राज संस्थाओं एवं अर्द्ध सरकारी निकायों आदि के विभिन्न विभाग/कार्यालयों का निरीक्षण करें और जांच करें कि आरक्षण सम्बन्धित आदेशों का पालन उचित ढंग से किया जाता है अथवा नहीं। तदनुसार राज्य सरकार ने कल्याण एवं श्रम विभाग के संकल्प संख्या ७८७०, दिनांक २० जुलाई, १९७६ के द्वारा एक राज्य स्तरीय नियोजन समिति का गठन किया है जिसके अध्यक्ष मंत्री कल्याण एवं कारा विभाग हैं एवं श्री बागुन सुम्बई, स० वि० स०, श्री गायत्री प्रसाद रजक, श्री अवधेश्वर राम, स० वि० स० गैर सरकारी सदस्य हैं तथा श्री कीर्ति नारायण, भा० प्र० सेवा, उप-सचिव, कार्मिक विभाग पदेन सदस्य-सचिव हैं।

उपरोक्त नियोजन समिति इसके लिए सक्षम है कि वह किसी भी सचिवालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों में किये गए नियोजन के सम्बन्ध में आरक्षण की जांच कर सके। चूँकि समिति के अध्यक्ष मन्त्री, कल्याण एवं कारा विभाग हैं इसलिए कार्यालयों की जांच में उनके द्वारा उपस्थित रहने का प्रश्न नहीं है और उनके स्थान पर श्री बागुन सुम्बई, स० वि० स० अस्थायी रूप से अध्यक्ष का कार्य करेंगे। सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का यह कर्त्तव्य होगा कि जब इस समिति के द्वारा नियोजन सम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रम प्राप्त हो तो विभाग अथवा कार्यालय के उच्च-स्तरीय पदाधिकारी मांगे गये आंकड़ों को समिति के समक्ष उपस्थित करें। यदि प्रधान सचिव स्वयं किसी आवश्यक कारण से उपस्थित नहीं रह सकें तो अन्य उच्च स्तरीय पदाधिकारी को यह भार सौंप दें ताकि समिति के द्वारा आंकड़ों की समीक्षा में कठिनाई न हो। साधारणत: आंकड़े संलग्न प्रपत्र के अनुसार उपलब्ध रहने चाहिए।

विश्वासभाजन,

(ह०) कीर्त्ति नारायण;

सरकार के उप-सचिव,
पदेन सदस्य-सचिव।

श्रेणी एवं संवर्ग	कुल लोक बल	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जन-जाति की संख्या	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५
श्रेणी १	....	....	....	(यदि कोई रिक्तियाँ उपलब्ध हों तो उसकी संख्या दी जाय।)
श्रेणी २	....	....	....	
श्रेणी ३	....	....	....	
श्रेणी ४	....	....	....	
(प्रत्येक श्रेणी खासकर श्रेणी १ में हर संवर्ग का अलग-अलग आंकड़ा रहे।)				

संख्या का० १८६१

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

संकल्प

२७ जनवरी, १९७६

विषय — अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए चयन समिति के सम्बन्ध में।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को सरकारी सेवाओं में विहित प्रतिशत के प्रतिनिधित्व मिल सके, इस हेतु इस की पूर्ति के लिए कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या २२९९१, दिनांक २१ दिसम्बर, १९७४ की कंडिका १ के द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत किया गया है कि जब सचिवालय के किसी विभाग तथा संलग्न किसी कार्यालय में किसी राजपत्रित पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति गठित की जाय तो इस चयन समिति में कार्मिक विभाग के उप-सचिव या अवर सचिव जो अनुसूचित जाति/जन-जाति से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन करते हैं, को भी एक सदस्य के रूप में रखा जाय तथा चयन समिति गठित किये जाने की सूचना प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी कार्मिक विभाग को शीघ्र भेजें।

इधर हाल में भारत सरकार द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि भारत सरकार के अन्तर्गत मंत्रालय / विभाग के अधीन विभिन्न पदों / सेवाओं के लिए गठित किये गये चयन बोर्डों एवं विभागीय पदोन्नति समितियों में यथासंभव अनुसूचित जाति/जन-जाति के किसी पदाधिकारियों को मनोनीत करने का प्रयास किया जाय। यदि मंत्रालय/विभाग में अनुसूचित जाति/जन-जाति के कोई पदाधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो गठित किये जानेवाले चयन एवं विभागीय पदोन्नति समिति में अन्य मंत्रालय/विभाग से अनुसूचित जाति/जन-जाति के पदाधिकारियों को मनोनीत किया जाय।

भारत सरकार के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सचिवालय के किसी विभाग तथा संलग्न किसी कार्यालय में अपने अधीन पदों / सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए चयन समिति / पदोन्नति समिति गठित की जाय तो प्रत्येक नियुक्ति एवं प्रोन्नति समिति में सम्बन्धित विभाग में यदि अनुसूचित जाति/जन-जाति के पदाधिकारी उपलब्ध हों तो उनको इस तरह की समितियों में सदस्य के रूप में रखा जाय और यदि उपलब्ध नहीं हों तो किसी दूसरे विभाग में यदि उस कोटि के पदाधिकारी उपलब्ध हों तो उनको समिति में शामिल किया जाय और यदि वह भी सम्भव नहीं हो सके तो कार्मिक विभाग के उप-सचिव या

अवर-सचिव को अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हों, को एक सदस्य के रूप में रखा जाय तथा अवर समिति गठित किए जाने की सूचना प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी कार्मिक विभाग को शीघ्र भेजें।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि बिहार राजकीय बजट में जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि सचिव, बिहार लोक-सेवा आयोग/महालेखाकार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कीर्ति नारायण,

सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ११। अ १-१०/७६-का० १८६१।

पटना, १५, दिनांक २७ जनवरी १९७६

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/सचिव, बिहार लोक-सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सदस्य-सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

कीर्ति नारायण,

सरकार के उप-सचिव।

सं० १०२६९-का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

संकल्प

१२ जून १९७५

विषय—स्वायत्त संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में हरिजन आदिवासियों के लिये पदों का आरक्षण विगत मंत्रिपरिषद् ने अपने दिनांक २६ अप्रील, १९७५ की बैठक में सरकार द्वारा गठित स्वायत्त संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया था।

"सरकार द्वारा गठित स्वायत्त संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों को यह अनुदेश दिया जाय कि जबतक हरिजन आदिवासी का सुरक्षित कोटा पूरा नहीं हो जाय तबतक तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय पदों पर सामान्य कोटा के व्यक्तियों की नियुक्ति बिल्कुल बन्द कर दी जाय। शैक्षणिक पदों पर भी सुरक्षण की व्यवस्था आवश्यक रहे। और यदि न्यूनतम योग्यता वाले हरिजन/आदिवासी उपलब्ध रहें तो उन्हें प्राथमिकता दी जाय।"

२. उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिये साधारणतः ५० प्रतिशत से कम ही पद आरक्षित किये जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला टी० देवदासन बनाम भारत सरकार, ए० आई० आर० १९६४ सर्वोच्च न्यायालय १७९ (भोलूम ५१, सी० १६) में उल्लिखित है। इसी फैसले के आधार पर राज्य सरकार ने भी अपने अधीन सेवाओं के सभी संवर्गों के लिये अपने अनेक परिपत्रों के द्वारा आदेश निर्गत किया है कि श्रेणी तीन एवं श्रेणी चार में जबतक सुरक्षित जाति के सदस्य उनके लिये निर्धारित प्रतिशत का अनुपात हासिल नहीं कर लेते हैं तबतक उनके लिये तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों में ५० प्रतिशत पद आरक्षित किये जायं।

३. अतः उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में विगत मंत्रिपरिषद् के निर्णय पर सरकार ने पुनः भलीभांति विचार कर यह निर्णय लिया है कि स्वायत्त संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों में शत-प्रतिशत पदों का आरक्षण न कर केवल ५० प्रतिशत पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों के लिये आरक्षित किये जाएं, जबतक इन जातियों के सदस्य उनके लिये निर्धारित प्रतिशत का अनुपात हासिल नहीं कर लेते हैं।

आदेश—आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/बिहार लोक-सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त/जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०) सी० आर० वेंकटरामन,

सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या १०२६२-का०

पटना-१५, दिनांक [illegible] जून, [illegible]

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/बिहार लोक-सेवा आयोग एवं सरकार के प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

कीर्ति नारायण,

सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ११/पी० १-२०२/७५—४६१९-का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री सी० आर० वेंकटरामन्,

सरकार के सचिव,

सेवा में

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक २२ फाल्गुन, १८९६ (श)/ १३ मार्च, १९७५।

विषय—हरिजनों एवं आदिवासियों के लिये सरकार के अधीन नितांत अस्थाई पद (कार्य भारित स्टाफ, तथा दैनिक मजदूरी और मासिक मजदूरी पाने वाले स्टाफ) का आरक्षण।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि मौजूदा सरकारी आदेश [illegible] कार्यभारित [illegible] दैनिक मजदूरी और मासिक मजदूरी पानेवाले स्टाफ आदि की नितांत अस्थाई [illegible] की [illegible] संबंधी

आदेशों के दायरे से बाहर रखा गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की है कि ऐसे अस्थाई पदों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाय क्योंकि इस तरह से जिनकी नियुक्ति होती है वे स्थाई पद के लिये दावा करते हैं और अन्ततः स्थाई नियुक्ति हो जाती है। फलस्वरूप अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की बहाली नहीं हो पाती है। इस संबंध में भली-भांति विचार करने के उपरांत सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार के अधीन नितांत अस्थाई पद जैसे (रोकड़ा या महीनवारी, सहित कार्यभारित स्टाफ) में भी अनुसूचित जाति के लिए १४ प्रतिशत एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये १० प्रतिशत पद सुरक्षित रहेंगे।

अनुरोध है कि अपने विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सभी नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी जानकारी करा दी जाय।

विश्वासभाजन
सी० आर० वेंकटरामन्
सरकार के सचिव।

पत्र संख्या ११/पी० १-२०२/७५—४६१८-का०
बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री सी० आर० वेंकटरामन्,
सरकार के सचिव

सेवा में

सरकार के सभी सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलायुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना १५, दिनांक २२ फाल्गुन, १८९६ (श०)/१३ मार्च १९७५।

विषय—अनुसूचित जन-जातियों के लिये सेवा में आरक्षण।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या ५३०५-का०, दिनांक १० अप्रील १९७३ के द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत किया गया है कि जबतक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य उनके लिये निर्धारित प्रतिशत का अनुपात हासिल नहीं कर लेते हैं, तबतक उनके लिये तृतीय एवं चतुर्थ पदों की रिक्तियों में ५० (पचास) प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के अधीन श्रेणी १ एवं २ के पदों में भी जबतक अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य उनके लिये निर्धारित प्रतिशत का अनुपात हासिल नहीं कर लेते है तबतक अनुसूचित जाति के लिये २५ प्रतिशत एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये २० प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहेगा। यह नियम सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति द्वारा की गई सभी नियुक्तियों से लागू समझा जायगा।

अनुरोध है कि अपने विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सभी नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी जानकारी करा दी जाय।

विश्वासभाजन,
(ह०) सी० आर० वेंकटरामन
सरकार के सचिव।

पत्र संख्या ११-पी १-२०२/७५—४६१७-का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग,

प्रेषक,

श्री सी० आर० वेंकटरामन्,
सरकार के सचिव-

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलायुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक २२ फाल्गुन, १८९६ (शक) १३ मार्च, १९७५

विषय—आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के लिए सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने अबतक जो छानबीन की है उससे पता चलता है कि लगभग सभी विभागों एवं कार्यालयों द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिये सरकारी सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों की अवहेलना की गयी है। फलस्वरूप उन जातियों का प्रतिनिधित्व विहित आरक्षण के अनुपात में पूरा नहीं हो रहा है जिसके चलते विधान-मंडल में सरकार की कटु आलोचना होती है।

अत: अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण के सम्बन्ध में जो आदेश निर्गत किया गया है उसका अनुपालन सही ढंग से किया जाय। आरक्षण सम्बन्धी आदेश के अनुपालन में अगर कोई विभाग या पदाधिकारी शिथिलता दिखलाते हैं तो उनके विरुद्ध सरकार कड़ी कार्रवाई करने को बाध्य होगी।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों की सूचना सभी नियुक्ति पदाधिकारी को दी जाय तथा इसका पालन कड़ाई से कराई जाय।

विश्वासभाजन,
(ह०) सी० आर० वेंकटरामन
सरकार के सचिव।

पत्र संख्या ११/आ-१-१०२/७५-का०—३३६०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक,

श्री सी० आर० वेंकटरामन,

सरकार के सचिव,

सेवा में,

सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक १२ फरवरी १९७५

विषय— आरक्षित रिक्तियों के संबंध में राज्य विधान मंडल के अनुसूचित जाति के सदस्यों को सूचना देने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कार्मिक विभाग के पत्र संख्या ३ एस-१०१/७३ का०—२२८७, दिनांक २१ फरवरी, १९७३ (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना है कि यद्यपि कि उपर्युक्त निर्देशित पत्रांक के द्वारा इस आशय का स्पष्ट आदेश निर्गत किया जा चुका है कि नियुक्ति पदाधिकारी अपने अधीन अनुसचिवीय, अवर और निम्न कोटीय वर्गों की रिक्तियों के संबंध में पार्श्व में अंकित व्यक्तियों, संघटनों को निश्चित रूप से सूचना दें ताकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध इन जातियों के सदस्यों की नियुक्ति करने में मदद पहुंचा सके। लेकिन फिर भी सरकार को सूचना मिली है कि नियुक्ति पदाधिकारी अपने अधीन रिक्तियों के संबंध में आवश्यक सूचना उपर्युक्त निर्देशित पत्र में उल्लिखित व्यक्तियों, संघटनों को नहीं दी जाती है।

(क) राज्य विधान-मंडल के ऐसे सदस्यों को जो अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(ख) हरिजन सेवक संघ
(ग) जिला कल्याण पदाधिकारीगण
(घ) दलित वर्ग संघ
(ङ) आदिम जाति सेवा मंडल (निवारण आश्रम, रांची)
(च) संताल पहाड़िया सेवा मंडल (देवघर)
(छ) मुसहर सेवा मंडल, रोसड़ा, दरभंगा

यह बहुत ही खेद की बात है कि उपर्युक्त आदेश का पालन नहीं होता है। अतः अनुरोध है कि आप कृपया स्वयं इस आदेश का पालन सही रूप में करें। साथ-साथ अपने अधीनस्थ नियुक्ति पदाधिकारियों को ताकीद कर दें कि उपर्युक्त आदेश का पालन निश्चित रूप से करें। उन्हें यह भी कह दिया जाय कि सरकार को अगर इस आदेश की अवहेलना की सूचना मिलेगी तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायगी।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या ११/ आर-२-१०२/७५ का०—११६०

पटना-१५; दिनांक २२ फरवरी, १९७५ ।

प्रतिलिपि— सदस्य, सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ प्रेषित ।

[illegible]

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या-११/ आर १-१००/७५—२१४८-का०

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग ।

प्रेषक,

श्री सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग एवं सचिवालय से संलग्न सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-१५; दिनांक ५ फरवरी, १९७५ ।

विषय— ऐसी ऐच्छिक संस्थाओं की सेवाओं में, जिन्हें सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जाता हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि सरकार की यह नीति रही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को विभिन्न सेवाओं में समुचित संख्या में प्रतिनिधित्व मिल जाय। सरकार की उपर्युक्त नीति के अनुसार राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी सेवाओं एवं पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों के लिए क्रमशः १४ प्रतिशत एवं [illegible] प्रतिशत पदों को आरक्षण करने का प्रावधान किया है। सरकार ने सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को इस आशय का भी आदेश निर्गत किया है कि वे अपने अधीनस्थ अर्द्ध-सरकारी निकायों / लोक क्षेत्र उपक्रमों से अनुरोध करें कि वे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में साधारणतः उन्हीं नियमों का अनुसरण करें जिनका अनुपालन राज्य सरकार के विभिन्न विभाग करते हैं। राज्य के अधीन ऐच्छिक संस्थाओं जैसे शैक्षणिक संस्था, पुस्तकालयों, समाज कल्याण केन्द्र इत्यादि में अभी भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों की नियुक्ति करने का पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध है। अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रस्वीकृत ऐच्छिक संगठन जिन्हें सरकार का अनुदान प्राप्त है, भी अपने अधीन पदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों के

लिए पदों के आरक्षण के संबंध में साधारणतः उन्हीं नियमों का अनुसरण करें जिनका अनुपालन राज्य सरकार के विभिन्न विभाग करते हैं। अतः अनुरोध है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों के लिए ऐसी ऐच्छिक संस्थाओं की सेवाओं में, जिन्हें सरकार द्वारा सहायता अनुदान दी जाती है और जिनमें कुल नियोजित कर्मचारी की संख्या १० से अधिक है, आरक्षण करने के सम्बन्ध में उचित खंड सहायता अनुदान नियमावली में समाविष्ट कर दिया जाय जो सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त प्रस्वीकृत, ऐच्छिक एजेन्सी पर लागू है। सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिया जाता है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णयानुसार, यदि वे इससे सम्बन्धित हों तो शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कारंवाई करें तथा इस संबंध में दिनांक २८ फरवरी, १९७१ तक आवश्यक आदेश निर्गत करें तथा निर्गत किए गए आदेश की प्रति इस विभाग को भी भेजें। उनसे यह भी अनुरोध है कि इस आदेश के कार्यान्वयन की नियतकालिक रूप से जांच करें तथा ऐच्छिक संगठनों द्वारा जिन्हें सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्य की नियुक्ति किये जाने की दिशा में की गई कारंवाई के संबंध में एक अर्द्ध-वार्षिक प्रतिवेदन पहली जनवरी एवं ३१ जुलाई को निश्चित रूप से इस विभाग को भेजा करें। इन संगठनों द्वारा इस दिशा में की गई कारंवाई एवं प्रगति को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें आगामी वर्ष सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जाय।

पत्र की प्राप्ति कृपया स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन,

सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के सचिव।

संख्या २५१९६—का०

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

संकल्प

विषय— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए सरकारी सेवा में आरक्षण (रिजर्वेशन) प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य से कुछ अन्य विशेष सुविधाएं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को सरकारी सेवाओं में विहित प्रतिशत में प्रतिनिधित्व मिल सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियुक्ति विभाग के संकल्प संख्या ११८६७, दिनांक २१ नवम्बर, १९७० तथा संकल्प संख्या ३६५८, दिनांक २४ फरवरी, १९७१ में राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों का आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस विषय में पिछड़ा वर्ग आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन में सन्निहित सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है:—

(१) अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति —कार्मिक विभाग के ज्ञाप संख्या ३-आर० १-२०४८/५२-ए—३२३६, दिनांक १७ अप्रील, १९५३ के द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत किया गया है कि सरकार के अधीन सभी सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु जिसका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं होता है, का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाय जिसमें नियुक्ति पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य दो वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्य के रूप में रहें। सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब सचिवालय के किसी विभाग तथा संलग्न किसी कार्यालय में किसी अराजपत्रित पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति गठित की जाय तो इस चयन समिति में कार्मिक विभाग के उप-सचिव

लेकिन ऐसा आदेश नहीं है कि जब विभाग या कोई कार्यालय नियोजनालय को मांग-पत्र भेजे या स्वयं विज्ञापन निकाले तो कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाय। विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जब कोई विभाग या कार्यालय नियोजनालय को मांग-पत्र भेजे या स्वयं विज्ञापन निकाले तो उसमें कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त करने की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है; परन्तु यह आवश्यक है कि नियोजनालय को भेजे गए मांग पत्र या स्वयं निकाले गए विज्ञापन की प्रति कार्मिक विभाग में भेज दी जाय; ताकि उसकी जांच; कार्मिक विभाग में यथासम्भव की जा सके कि आरक्षण संबंधी आदेशों का अनुपालन सही ढंग से हुआ है या नहीं। यदि जांच के दौरान यह पाया गया कि आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन नहीं हो पाया है तो सम्बन्धित विभाग या कार्यालय का ध्यान उस ओर कार्मिक विभाग के द्वारा आकृष्ट करने का अवसर मिल सके।

(५) अनुसूचित जाति/जन-जाति के उम्मीदवारों का नाम नियोजनालय में निबन्धित नहीं रहने पर भी उनके आवेदन-पत्र पर विचार किया जाना :— सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार को नियोजनालय में उनके नाम निबंधित नहीं रहने पर भी उनके आवेदन-पत्र पर विचार किया जाय। नियुक्ति पदाधिकारी इन जातियों के ऐसे उम्मीदवारों को, जिनका नाम नियोजनालय में अगर दर्ज नहीं भी है तो भी नियुक्त कर सकते हैं जबकि वे आश्वस्त हो जाय कि इन जातियों के उम्मीदवार नियोजनालय की सूची में उपलब्ध नहीं है;

(६) सरकारी उपक्रमों, अर्द्ध-सरकारी निकायों में नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन :—

पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी उपक्रमों एवं अर्द्ध-सरकारी निकायों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए एक चयन समिति बनायी जाय. जिसमें विधान-मंडल के एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन/जाति के रखे जायें। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रशासी विभाग अपने प्रशासी नियंत्रण के अधीन सरकारी उपक्रमों एवं अर्द्ध-सरकारी निगमों में उपर्युक्त आशय का आदेश निर्गत करें तथा निर्गत किये गये आदेश की प्रति कार्मिक विभाग को भेजें।

आदेश— आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, लोक-सेवा आयोग एवं प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष / आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/— शरण सिंह,
सरकार के मुख्य सचिव।

ज्ञ.प संख्या ३/एस २-१०४५/७४—२५९९६-का०

पटना-१५, दिनांक २३ दिसम्बर, १९७४

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/सचिव, लोक-सेवा आयोग/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सदस्य सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(ह०) सी० आर० वेंकटरामन सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या ३/एस२-१०४५/७४—२१९९६-का०

पटना-१५, दिनांक २ ३ दिसम्बर, १९७४ ।

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशन के लिये अग्रसारित ।

२ । अनुरोध है कि इसकी ५०० अतिरिक्त प्रतियां नियुक्ति विभाग को शीघ्र भेजी जायें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ह०) सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या १९६२९-का० ।

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग ।

प्रेषक

सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के सचिव ।

सेवा में

सरकार के सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान-सभा सचिव, बिहार विधान-परिषद् ।

पटना-१५, दिनांक ४ अक्तूबर, १९७४ ।

विषय :—सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर नियुक्ति को प्रोन्नति समझा जाना ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या ९२७७, दिनांक २९ मई, १९७१ के अधीन राजकीय सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर सीधी भर्त्ती की तरह अनुसूचित जाति के लिए १४ प्रतिशत एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए १० प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है । यह आरक्षण राज्य के सभी सम्वर्गों में लागू होता है अर्थात् श्रेणी—१, २, ३ एवं ४ के पदों के लिए सरकार के उक्त आदेश के संदर्भ में विभिन्न विभागों द्वारा ऐसी पृच्छाएं प्राप्त हो रही हैं कि सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति समझी जायगी अथवा नहीं । भलीभांति विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर भी नियुक्ति प्रोन्नति मानी जायेगी तथा प्रोन्नति के मामले में आरक्षण सम्बन्धी सरकार का जो आदेश है, वह लागू होगा ।

२. अनुरोध है कि इसकी जानकारी आप अपने अधीनस्थ सभी नियुक्ति पदाधिकारियों को करा देने की कृपा करें । इस सम्बन्ध में अपने विभाग के अधीन सरकारी प्रतिष्ठानों को भी यथोपयुक्त सूचना देने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट
सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या १६६२९-का०।

पटना-१५, दिनांक ४ अक्तूबर, १९७४।

प्रतिलिपि सदस्य-सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग / कार्मिक विभाग की सभी प्रशाखाओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के सचिव।

संख्या ३/एस० २-१०२९/७४-का०—१६२६२।

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग।

प्रेषक

श्री सी० आर० वेंकटरामन,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष।

पटना-१५, दिनांक २२ अगस्त, १९७४।

विषय—लोक उपक्रमों के अधीन नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण।

महाशय,

निदेशानुसार, मुख्य सचिव के अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या ३/एस २-१०४६/७२-का०—२१७४८, दिनांक ६ दिसम्बर, १९७२ (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि राज्य सरकार के सभी अर्द्ध-सरकारी निकायों, लोक क्षेत्र उपक्रमों तथा निगमों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिए पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में उन्हीं नियमों का अनुसरण किया जायगा जिनका अनुसरण राज्य सरकार के विभिन्न विभाग करते हैं। इस सम्बन्ध में की गयी कारंवाई का एक प्रतिवेदन इस विभाग को १५ दिसम्बर, १९७२ तक भेजना था जो अबतक अप्राप्त है।

२. पुनः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी अर्द्ध सरकारी निकायों, लोक क्षेत्र उपक्रमों तथा निगमों वगैरह से इस विषय में एक प्रतिवेदन मांगें कि १९७२ साल में एवं १९७३ साल में इन संस्थानों में प्रत्येक संवर्ग में कितनी-कितनी नियुक्तियां हुई और उनमें हरिजन/आदिवासी की संख्या अलग-अलग क्या है, तथा नियुक्ति हेतु रखे गए रोस्टर में आरक्षण दिखाया गया है या नहीं ? इसी प्रकार का एक तीसरा प्रतिवेदन १९७४ के जून माह तक प्राप्त करें तथा इन तीनों प्रतिवेदनों के उपलब्ध होने के पश्चात् अपने विभाग का एक संकलित प्रतिवेदन दोनों वर्षों तथा जून, १९७४ तक का अलग-अलग इस विभाग में सरकार के सूचनार्थ यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें।

३. यदि किसी अर्द्ध-सरकारी निकाय, लोक क्षेत्र उपक्रम तथा निगम में इन नियमों का पालन नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं होने का कारण संबंधी स्पष्टीकरण, सम्बन्धित विभाग तथा पदाधिकारी से प्राप्त करें और तत्संबंधी एक विस्तृत विवरण अपनी टिप्पणी के साथ इस विभाग को भेजें।

सी॰आर॰ वैंकटरमण,
सरकार के सचिव।

ज्ञाप संख्या ३ एस-२-१०२४/७२—१८१६३-का॰।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग।

प्रेषक

श्रीमती मालती सुनीला सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

सेवा में

सरकार के सभी प्रमुख सचिव

सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलायुक्त

सभी जिला पदाधिकारी
सचिव, बिहारविधान-सभा

सचिव, बिहार विधान-परिषद।

पटना-१५, दिनांक ७ दिसम्बर, १९७२।

विषय— अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए सेवा में आरक्षण।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने अब तक जो छानबीन की है उससे पता चलता है कि लगभग सभी विभागों एवं कार्यालयों द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए सरकारी सेवा में

आरक्षण सम्बन्धित आदेशों की अवहेलना की गई है जिसके फलस्वरूप उन जातियों का प्रतिनिधित्व विहित आरक्षण के अनुपात में पूरा नहीं हो सका है। इसके चलते विधान-मंडल में सरकार की कटु आलोचना होती है तथा भारत सरकार ने भी वर्तमान स्थिति पर असंतोष प्रकट किया है।

२. सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पदों की गणना रोस्टर एवं कैरी फारवार्ड पद्धति को ध्यान में रखकर करनी है। इधर हाल में कार्मिक विभाग ने अपने संकल्प संख्या ५३०५-का, दिनांक १० अप्रील, १९७३ द्वारा यह आदेश निर्गत किया है कि जबतक अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के सदस्य उनके लिए निर्धारित प्रतिशत का अनुपात हासिल नहीं कर लेते हैं, तबतक उनके लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों की रिक्तियों का ५० (पचास) प्रतिशत आरक्षित रहेगा। तत्संबंधित संलग्न संकल्प इस संबंध में स्वत: स्पष्ट है।

३. तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालते समय नियुक्ति प्राधिकारियों को सुनिश्चित कर लेना है कि उपर्युक्त पदों के वर्तमान सम्वर्ग में यदि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिनिधित्व विहित आरक्षण के अनुपात में अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो इन जातियों के लिए ५० प्रतिशत आरक्षण करके उस कमी को यथाशीघ्र पूरा करना है।

४. अनुरोध है कि कार्मिक विभाग के उपर्युक्त संकल्प के अनुसार आरक्षित पदों की गणना करें एवं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी आदेश दे दें कि उनके द्वारा नियुक्तियाँ करते समय रिक्तियों की गणना उपर्युक्त संकल्प के ही अनुसार करें।

मालती सुशीला सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या १८१६५-का०।

पटना-१५, दिनांक ७ दिसम्बर, १९७३।

प्रति अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग को मुख्य मंत्री के अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या १०२४-मु० मं० स०, दिनांक ७ सितम्बर, १९७३ के प्रसंग में सूचनार्थ अग्रसारित।

मालती सुशीला सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञापांक १८१६६-का।

पटना-१५, दिनांक ७ दिसम्बर १९७३।

प्रति कार्मिक विभाग की सभी प्रशाखाओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित। प्रशाखा ४ (स्थापना) एवं प्रशाखा ९ (संयुक्त सम्वर्ग शाखा) का ध्यान विशेष तौर पर उपर्युक्त आदेश की ओर आकृष्ट किया जाता है। संयुक्त सम्वर्ग शाखा से अनुरोध है कि निम्नवर्गीय सहायकों के आवंटन के समय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिए विहित प्रतिशत में आरक्षण करके वर्तमान कमी को पूरा करने हेतु इस ओर विशेष ध्यान रखें।

मालती सुशीला सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

संख्या ३/एस २-१०३९/७३—१६१०६-का०
बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्रीमती मालती सुशीला सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव ।

सेवा में

सचिव,
बिहार लोक-सेवा आयोग,
बेली रोड, पटना ।

८ कार्तिक १८९५ (श०)
पटना-१५, दिनांक—————————
३० अक्तूबर, १९७३

विषय —१४ वीं न्यायिक सेवा परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति अनुसूचित जाति/जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए पदों का आरक्षण ।

महाशय;

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या ५५१, दिनांक २१ जुलाई, १९७३ तथा इस विभाग के ज्ञाप संख्या ११९८६-का०, दिनांक ७ अगस्त, १९७३ के प्रसंग में मुझे कहना है कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी पद्धति के विषय में स्पष्ट करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया था कि यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार खुली प्रतियोगिता परीक्षा के फल के आधार पर योग्यता के बल पर नियुक्त किए जायं या जेनरल कोटा के विरुद्ध, इसके उत्तर में भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने अपने पत्र संख्या ३२७७/७१-स्थापना (अनु० जा०), दिनांक २६ अगस्त, १९७१ द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के ऐसे उम्मीदवार भी, जो अपनी निजी योग्यता के आधार पर चयन किए जाते हैं, आरक्षित कोटा में गणन किये जायेंगे। भारत सरकार के दिनांक २६ अगस्त, १९७१ के पत्र की प्रति संलग्न है ।

२ । इस संबंध में भारत सरकार से पुन: अनुरोध किया गया कि क्या उपर्युक्त निदेश में इधर कोई संशोधन हुआ है । भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपने पत्र संख्या ३८५२/७३-स्थापना (अनु० जा०) दिनांक २५ सितम्बर, १९७३ (प्रति संलग्न) में स्पष्ट किया है कि पूर्व सूचित की गई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

३ । अनुरोध है कि इस संबंध में तदनुसार कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,
मालती सुशीला सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव

ज्ञाप संख्या ३-एस२—१०३९/७१—१६१०६-का०

८ कार्तिक, १८९५ (श०)
पटना-१५, दिनांक—————।
३० अक्तूबर, १९७३

प्रति अनुलग्नक की प्रति के साथ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कारंवाई के लिए अग्रसारित।

मालती सुशीला सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ३/एस २-१०३९/७३—१६१०६-का०।

८ कार्तिक, १८९५ (शा०)
पटना-१५, दिनांक—————।
३० अक्तूबर, १९७३

प्रति कार्मिक विभाग की सभी शाखाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई के लिए।

(ह०) अस्पष्ट,
प्रशाखा पदाधिकारी।

संख्या ३२७७/७१ स्थापना (अनु० जा०)

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

सेवा में

सचिव, बिहार सरकार,
नियुक्ति विभाग,
पटना।

नई दिल्ली-१, दिनांक २६ अगस्त, १९७१/भाद्र १८९३।

विषय—सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक ३ जुलाई, १९७१ के पत्र संख्या ३ एस-२–१५५/७० – नियुक्ति—११९३९, के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों या सेवाओं में लागू होनेवाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुसार यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सभी आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए सामान्य स्तर तक इनके पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो दिनांक १५ जुलाई, १९७० के कार्यालय ज्ञापन संख्या १-१/७०-स्थापना (अनु० जा०) (प्रतिलिपि संलग्न है) के अनुसार उनके लिए शेष रिक्त स्थानों को भरने के लिए इन जातियों के उम्मीदवार, यदि वे ऐसे पद या पदों के लिए अनुपयुक्त न हों, चयन किए जायेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के ऐसे उम्मीदवार भी, जो अपनी निजी योग्यता के आधार पर चयन किए जाते हैं, आरक्षित कोटा में गणन किए जायेंगे और शेष रिक्त स्थान, यदि कोई है, इन जातियों के उम्मीदवारों से भरे जायेंगे, जो संभवतः स्तर में छूट देकर चयन किए जायेंगे।

भवदीय,
(ह०) टी० आर० प्रसाद,
अवर-सचिव, भारत सरकार।

संख्या ३८०२९/७३—स्थापना (अनु० का०)।

भारत सरकार

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में

उप-सचिव,
कार्मिक विभाग,
बिहार सरकार, पटना-१५।

नई दिल्ली-११०००१, दिनांक २५ सितम्बर, १९७३।

विषय—सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण—१४ वीं न्यायिक सेवा परीक्षा के आधार पर उम्मीदवार की नियुक्ति।

महोदय,

मुझे आपके पत्र संख्या ३/एस-२-१०३९/७३—११९८६-का०, दिनांक ७ अगस्त, १९७३ के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में आपको पहले सूचित की गई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि गुणावगुण के आधार पर चुने गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या से कम रहें, तो शेष आरक्षित रिक्तियां इन जातियों के उम्मीदवारों के चयन द्वारा स्तर को उस सीमा तक शिथिल करके, भरी जाएं, जिस सीमा तक ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध हों। इस प्रकार अनुसूचित आदिम जातियों के जो उम्मीदवार उनके अपने गुणावगुण के आधार पर चयन किए जाते हैं वे प्रथम आरक्षित कोटे में गिने जाते हैं और यदि आरक्षित कोटा में कोई कमी रह जाए तो इसकी पूर्ति इन जातियों के अन्य उम्मीदवारों से कर ली जाती है।

भवदीय,
(ह०) जे० एस० आहलूवालिया,
अवर सचिव, भारत सरकार।

No. 1/1/70. Est (SCT)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

OFFICE MEMORANDUM

New Delhi-1, the 25th July, 1970.

SUBJECT.—Selection of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates against reserved vacancies—Relaxation of standards.

According to the instructions in this Ministry's office Memorandum no. 8/10/66-Est (C), dated the 15th May 1967 read with Office Memorandum no. 16/17/67-Est (C) dated the 8th February 1968, if Scheduled Caste/Tribe candidates obtain, according to their normal position in the examination for direct recruitment, less vacancies than the number reserved for them, the selecting authorities have discretion in order to make up the deficiency, to select candidates belonging to these communities who may have obtain a low place in the examination, provided that such authorities are satisfied that the minimum standard necessary for maintenance of efficiency of administration has been reached in their cases. Similarly, in direct recruitment otherwise than by examinaton, if Scheduled Castes/Tribes candidates obtain, on the basis of the general standard, less vacancies than the number reserved for them, the

selecting authorities can, in order to make up the deficiency, select Scheduled Caste/Tribe candidates who may be of a lower standard than candidates of other communities, provided such candidates satisfy the minimum standard necessary for maintenance of efficiency of administration. The extent of relaxation of standard, while judging the suitability of Scheduled Caste(Tribe candidates, both in direct recruitment by examination and otherwise than by examination is thus at present decided by the selecting authority in the case of each category of post or posts. It has noth been decided that, in the case of direct recruitment, whether by examination or otherwise if sufficient number of Scheduled Caste/Tribe candidates are not available on the basis of the general standard to fill all the vacancies reserved for them, candidates belonging to these communities may be selected to fill up the remaining vacancies reserved for them provided they are not found unfit for such post or posts. Thus, to the extent the number of vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, candidates belonging to these communities will, as at present, be taken by relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for appointment to the post-posts in question.

2. Ministry of Finance etc., are requested to bring the above instructions to the notice of all appointing authorities under them including public sector undertakings and statutory, Semi-Government and autonomous bodies.

(Sd.) E. S. PARTHASARTHY,
Deputy Secretary to the Government of India.

To

All Ministries/Deprtments of the Government of India etc., etc.
All Union Territories, Adviser to the Governor of Assam,
Zonal Councils Secretariat,
All Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs,
Comptroller and Auditor-General of India,
Union Public Service Commission,
Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

COPY TO—Ad. I (A), Ad, I (B), Ad I (C), Ad. II, AIS (I), (III) (IV) CS, I, II, III, Est (B), (C), (E), ER, Hindi, SSO, Personnel I and II, Pub I, AVD. II, DH (S), GP. HMT, ANL, Delhi, NEFA, SR (R), Welfare Sections and E. O's Office in the Ministry of Home Affairs,

---

पत्र संख्या १४८७१-का० ।
बिहार सरकार
कार्मिक विभाग ।

प्रेषक

श्रीमती मालती सुनीला सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव

सेवा में

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलायुक्त ।

पटना-१५, दिनांक ३१ भाद्र, १८९५ (श०), / २२ सितम्बर, १९७३ ।

विषय—अनुसूचित जाति/जन-जाति के आवेदकों को राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति में प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े ।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि राज्य सरकार इस बात के लिए चिन्तित है कि अनुसूचित जाति/जन-जाति के सदस्यों को राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी सेवाओं में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया

गेय। इसके लिए समय-समय पर इन जातियों के सदस्यों के लिए नियुक्तियों में पद आरक्षण संबंधी तथा विभागीय प्रोन्नति में पद आरक्षण संबंधी, सरकारी आदेश निर्गत किये गये हैं।

२. नियुक्ति विभाग के ज्ञाप संख्या III/३/एल-६/५० ए-९९०९, दिनांक १३ नवम्बर, १९५३ द्वारा सभी विभागों को अनुसूचित जाति/जन-जाति के आवेदकों को कुल नियोजित लोगों में संख्या तथा की गयी नियुक्तियों में संख्या संबंधी आंकड़े प्रतिवर्ष देने के अनुदेश दिये गये थे। इधर इन जातियों के लिए विभागीय प्रोन्नति में पद आरक्षण के अनुदेश भी निर्गत किये जा चुके हैं। अतः इन जातियों के सदस्यों की नियुक्ति में प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़ों के लिए निर्धारित प्रपत्र मे विस्तार करना आवश्यक हो गया है। और इसके लिए पुनरीक्षित प्रपत्र संलग्न है। (परिशिष्ट १, २, ३ एवं ४)।

३. अतः निदेशानुसार मुझे अनुरोध करना है कि भविष्य में सभी विभाग इन जातियों के आंकड़े संलग्न प्रपत्र में कार्मिक विभाग, कल्याण विभाग तथा श्रम एवं नियोजन विभाग, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार (नियोजन निदेशालय) को निर्धारित समय पर भेज देने की कृपा करें। संलग्न प्रपत्र को भरने के लिए एक अनुदेश (गाइड लाईन) भी बनायी गयी है जिससे संलग्न प्रपत्र को भरने में सभी विभागों को सुविधा मिलेगी। (परिशिष्ट ५)।

४. ये आंकड़े प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष (१ जनवरी से ३१ दिसम्बर) के लिए दिये जाने हैं और संबंधित विभाग की यह जिम्मेवारी है कि वे अपने विभाग संबंधी सभी पदों (सचिवालय, विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यालयों इत्यादि) के बारे में समुचित आंकड़े कार्मिक विभाग, कल्याण विभाग तथा श्रम नियोजन विभाग (नियोजन निदेशालय) को १ मार्च तक निश्चित ही दें।

५. ३१ दिसम्बर, १९७२ की स्थिति तथा १९७२ वर्ष में की गयी नियुक्तियों के आंकड़े संलग्न प्रपत्र में १५ दिसम्बर, १९७३ तक निश्चित ही भेज दिये जायें। भविष्य में १९७३ वर्ष के आंकड़े १ मार्च १९७४ तक भेज देने होंगे।

६. पहले जो प्रपत्र निर्धारित किया गया था, उसमें स्थायी एवं अस्थायी पदों के आंकड़े अलग से दिये जाते थे। आज तक बहुत से पद अस्थायी हैं और जो भी अस्थायी पद तीन महीने से ज्यादा अवधि के होते हैं उनमें पद आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः संलग्न प्रपत्र में अस्थायी पदों को मिलाकर ही आंकड़े दिये जाने हैं। तीन महीने से कम अवधि के पदों को अलग से दर्शाना है।

७. भारत सरकार, गृह मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार इन जातियों के सदस्यों के विभिन्न सेवाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में समीक्षा करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर समितियां गठित की गयी हैं। जिला स्तर पर समिति का गठन जिलाधीश की अध्यक्षता में किया गया है और संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी इन समितियों के सदस्य सचिव हैं। इन समितियों को भी अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न विभागों में की गयी नियुक्तियां तथा उनमें इन जातियों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी देनी आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों/विभागीय जिला अधिकारियों/क्षेत्रीय पदाधिकारियों आदि को अनुदेश दे दें कि वे अपने कार्यालय संबंधी आंकड़े जब अपने विभाग को भेजते हैं तो उसकी एक प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी एवं एक प्रतिलिपि जिला नियोजन पदाधिकारी को, जिनके कार्यक्षेत्र में उनका कार्यालय स्थित है, को भेज दें।

८. इस पत्र के निर्गत होने से नियुक्ति विभाग के ज्ञाप संख्या ९९०९, दिनांक १३ नवम्बर, १९५३ को; जहां तक इन जातियों के नियुक्ति संबंधी आंकड़े भेजने का संबंध है, संशोधित समझा जायेगा।

विश्वासभाजन,
मालती सुनीला सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या १४८७१-का०

पटना-१५, दिनांक २२ सितम्बर, १९७३।

प्रतिलिपि सभी जिला अधिकारियों को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

मालती सुनीला सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

प्रपत्र—१

परिशिष्ट—१

विभाग/कार्यालय में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व संबंधी विवरण जैसा कि ३१ दिसम्बर..........को थी।

पद / श्रेणी का नाम	कुल संख्या		अनुसूचितजातियों की		अनुसूचित जनजातियों की		अन्य समुदाय के व्यक्तियों की		अभ्युक्ति
	स्वीकृत पद	भरे गये पद	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
स्थायी एवं अस्थायी सभी पद									
(तीन महीने से कम अवधि के पदों को छोड़कर)।									
श्रेणी—१									
श्रेणी—२									
श्रेणी—३									
श्रेणी...४									
विशेष कोटि के पद									
(जो ऊपर के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं हैं)—									
निम्नवर्गीय सहायक									
आशुलिपिक									
मेहतर									
अन्य (कृपया स्पष्ट करें)									
तीन महीने से कम अवधि के पद									
कुल जोड़									

प्रपत्र संख्या—२

विभाग/कार्यालय का नाम— वर्ष में की गयी नियुक्तियों के संबंध में विवरण— अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण।

पदों की श्रेणी	वर्ष के दरमियान भरे गये कुल पद	पिछले वर्ष की अग्रनीत रिक्तियां	रिपोर्ट वर्ष में आरक्षित रिक्तियों की संख्या	स्तम्भ ३ एवं ४ का जोड़	रिपोर्ट गत वर्ष में नियुक्ति किये गये अनुसूचित जातियों की संख्या	व्यपगत रिक्तियां	ऐसी आरक्षित रिक्तियां जिनपर गैर-अनुसूचित जातियों के लोग नियुक्त किये गये	कृपया बताएं कि किन कारणों से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों पर गैर-अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। क्या इसके लिये सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली गयी।
१	२	३	४	५	६	७	८	९
स्थायी एवं अस्थायी सभी पद (तीन महीने से कम अवधि के पदों को छोड़कर) —								
श्रेणी —1								
श्रेणी—२								
श्रेणी —३								
श्रेणी- ४								
विशेष कोटि के पद .... (जो ऊपर के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं है)								
निम्नवर्गीय सहायक								
आशुलिपिक								
मेहतर								
अन्य (कृपया स्पष्ट करें)								
तीन महीने से कम अवधि के पद								
जोड़								

प्रपत्र संख्या—३

विभाग/कार्यालय का नाम

वर्ष में की गयी नियुक्तियों के सम्बन्ध में विवरण— अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

पदों की श्रेणी	वर्ष के दरमियान भरे गये कुछ पद।	पिछले वर्ष की अग्रनीत रिक्तियां	रिपोर्ट गत वर्ष में आरक्षित रिक्तियों की संख्या	स्तम्भ-३ एवं ४ का जोड़	रिपोर्ट गत वर्ष में नियुक्त किये गये अनुसूचित जनजातियों की संख्या	व्यपगत रिक्तियां	ऐसी आरक्षित रिक्तियां जिनपर गैर अनुसूचित जनजातियों के लोग नियुक्त किये गये।	कृपया बताएं कि किन कारणों से अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों पर गैर अनुसूचित जन जातियों के व्यक्ति को नियुक्त किया गया। क्या इसके लिये सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली गयी ?
१	२	3	४	५	६	७	८	९
स्थायी एवं अस्थायी सभी पद								
(तीन महीने से कम अवधि के पदों को छोड़कर)—								
श्रेणी—१								
श्रेणी—२								
श्रेणी—३								
श्रेणी—४								
विशेष कोटि के पद .... (जो ऊपर के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं हैं)								
निम्नवर्गीय सहायक ...								
आशुलिपिक								
मेहतर								
अन्य (कृपया स्पष्ट करें) ...								
तीन महीने से कम अवधि के पद...								
कुल जोड़								

प्रपत्र संख्या—४

परिशिष्ट-४

विभाग/कार्यालय का नाम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये प्रोन्नति में आरक्षण संबंधी विवरण ३१ दिसम्बर, १९........तक की स्थिति

पद/श्रेणी का नाम	प्रोन्नति के लिये उपलब्ध पदों की सं०।	अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित पदों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों की संख्या	अन्य जातियों के लिये उपलब्ध पदों की संख्या	अनुसूचित जातियों के प्रोन्नत व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों के प्रोन्नत व्यक्तियों की संख्या	अन्य जातियों के प्रोन्नत व्यक्तियों के की सं०	बिना पारी के कितने अनुसूचित जाति के सदस्यों की प्रोन्नति हुई	बिना पारी के कितने अनुसचित जनजातियों के सदस्यों की प्रोन्नति हुई	अनुसूचित जाति । जनजाति के नियमत आरक्षण कोटे के अनुसार नियुक्ति न होने का कारण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
श्रेणी—१										
श्रेणी—२										
श्रेणी—३										
श्रेणी—४										
विशेष कोटि के पद (जो ऊपर के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं है कृपया उनका व्यवसाय/पद नाम स्पष्ट करें)										

परिशिष्ट-५

अनुसूचित जाति/जन जाति के आवेदकों का नियुक्तियों में प्रतिनिधित्व सम्बन्धी विवरण बनाने के लिये अनुदेश।

१. इन विवरणों को भरने के लिये समय-समय पर सरकार द्वारा अनुदेश निर्गत किये गये हैं जो ब्लू बुक में सम्मिलित किये गये हैं। ये अनुदेश उन अनुदेशों के अतिरिक्त है।

२. यह विवरण कलेण्डर वर्ष के लिये भरे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष के लिये विवरण वर्ष समाप्ति के बाद, १ मार्च, तक प्रशासकीय विभाग से कार्मिक विभाग को भेज देना चाहिये और उसकी प्रतिलिपि कल्याण विभाग तथा श्रम एवं नियोजन विभाग (नियोजन निदेशालय) को भी भेज देनी चाहिये।

३. यह विवरण प्रत्येक वर्ष सभी विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों को अपने विभाग को उनके विभाग द्वारा निर्गत किये गये अनुदेशों के अनुसार देने होंगे। सभी अधीनस्थ। क्षेत्रीय कार्यालय अपने विभाग को जो विवरण भेजेंगे उसकी प्रति अपने जिले के जिला पदाधिकारी को तथा अपने क्षेत्र के नियोजनालय के प्रभारी नियोजन पदाधिकारी को भी दें।

प्रपत्र (१)

४. इन विवरणियों के लिये चार प्रपत्र हैं। प्रपत्र-१-वर्ष के अंत में स्थिति के बारे में है। स्तम्भ-१ में सभी श्रेणियों के आंकड़े अलग-अलग देने होंगे, पर ऐसे पद जिनपर नियुक्तियाँ दूसरे विभाग द्वारा किये गये चुनाव के आधार पर की जाती है। (जैसे सभी विभागों में निम्न वर्गीय सहायक आदि कार्मिक विभाग द्वारा भरे जाते है, या स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर जहां कहीं भी डाक्टर नियुक्त होते हैं वे स्वास्थ्य विभाग से डाक्टरों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं), उन पदों का अलग से विवरण देना चाहिये। मेहतर के पदों पर पदस्थापित व्यक्तियों के आंकड़े भी विवरणियों में अलग दर्शायी जानी चाहिये, क्योंकि उन पदों पर नियुक्तियों के लिये तो साधारणतः अनुसूचित जाती के ही आवेदक मिल पाते हैं इसी तरह से तीन महीने से कम अवधि के पदों को भी अलग से दर्शाना चाहिये, क्योंकि इन पदों पर नियुक्तियां करते समय पद आरक्षण की व्यवस्था साधारणतः सम्भव नहीं होती है।

५. प्रपत्र के स्तम्भ २ में कुल स्वीकृत पदों की संख्या देनी चाहिये तथा स्तम्भ-३ में वर्ष के अंत में जो पद भरे हुए है, यथा जितने व्यक्ति उन पदों के समक्ष पदधारण किये हुए हैं, उनकी संख्या देनी चाहिये। स्तम्भ ५, ७, एवं ९ में प्रतिशत संख्या-स्तम्भ-३ में दिये गये आंकड़ों के समक्ष निकाला जाय।

प्रपत्र-२

६. कलेण्डर वर्ष में की गयी कुल सीधी नियुक्तियां (डाईरेक्टर रिक्रूटमेंट) तथा उनमें अनुसूचित जाति के आवेदकों की संख्या के बारे में है। स्तम्भ-१ में विभिन्न श्रेणियों/कोटियों के आंकड़े जैसा कि प्रपत्र-१ के लिये बनाए गए हैं, इसमें उसी प्रकार दिए जाने चाहिए। सीधी नियुक्तियों में यदि कोई ऐसे पदनाम। व्यवसाय हों जिनमें उचित संख्या में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षित आवेदक नहीं मिलते हैं, तो उनको स्तम्भ १ में अलग से दर्शाया जाय और उसके समक्ष बाकी स्तम्भों में भी जानकारी दी जाय।

प्रपत्र-३

७. यह प्रपत्र-२ की तरह का ही है; पर इसमें अनुसूचित जन जाति के आवेदकों का प्रतिनिधित्व कलेण्डर वर्ष में की गयी सीधी नियुक्तियों में दर्शाना है।

प्रपत्र-४

८. इस प्रपत्र में कलेण्डर वर्ष में प्रोन्नति द्वारा की गयी नियुक्तियों का विवरण दिया जाना है। इसमें भी विशेष कोटि के पद जिनमें इन जातियों के आवेदक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनको अलग से दर्शाया जाना चाहिये। ऐसी हालत में उन पदों का पदनाम तथा व्यवसाय स्पष्ट तौर पर स्तम्भ-१ में दे देना चाहिये।

पत्र संख्या ३ एस २-१०२४/७३-का०—१४८०२

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्रीमती मालती सुनीला सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में

राज्य के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी।

पटना १५, दिनांक २२ सितम्बर, १९७३।

विषय—अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की डाक-द्वारा नियोजनालय में निबन्धन की सुविधा।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति / जन जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण संबंधित सरकारी आदेशानुसार विभिन्न सरकारी नियुक्तियों में वांछित प्रतिशत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तत् संबंधित नियोजन पुनरीक्षण समिति के सुझावों पर विचार विमर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक १ अक्तूबर १९७३ से इन जातियों के उम्मीदवारों का निबन्धन निकटतम नियोजनालय में डाक द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से करवाया जाय, इस कार्य के लिये प्रखण्ड कल्याण निरीक्षकों की सेवा का उपयोग किया जाय तथा कथित उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र भरने एवं निबन्धन कराने में सहानुभूति पूर्वक आवश्यक सहायता प्रदान की जाय।

२. श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा अलग से नियोजनालयों को समुचित निदेश दिये जा रहे हैं और संलग्न विहित प्रपत्र (एक्स-२६) की अतिरिक्त प्रतियां भी भेजी जा रही हैं।

मालती सुनीला सिन्हा।
सरकार के उप-सचिव

ज्ञाप संख्या १४८०२ दिनांक २२ सितम्बर, १९७३

प्रतिलिपि सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलायुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु अग्रसारित।

मालती सुनीला सिन्हा,
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ३/एस २-१०३३/७३-का०—१३७३६

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री गोविन्द मेहता
सरकार के उप-सचिव

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी

सभी अनुमंडल पदाधिकारी

पटना-१५ दिनांक १४ भाद्र, १८९५ (श)

५ सितम्बर, १९७३।

विषय—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति संबन्धी आंकड़ों का संकलन।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की नियुक्ति संबंधी आंकड़े समय पर उपलब्ध नहीं रहने के कारण इस संबंध में सरकार द्वारा सदन में प्रश्नोत्तर देते समय तथा अन्य निर्णय लिये जाने में कठिनाई होती है। नियुक्ति संबंधी आंकड़े कल्याण विभाग द्वारा एकत्रित एवं संकलित किये जाते हैं लेकिन विवरणी, सम्बद्ध नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ही भेजी जानी है। समय पर विवरणी कल्याण विभाग को भेजी जा सके, इस हेतु सरकार ने आदेश दिया है कि अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी अनुमंडल स्तर पर, जिला कल्याण पदाधिकारी जिला स्तर पर, एवं उप-निदेशक कल्याण प्रमंडलीय स्तर पर इन आंकड़ों को एकत्रित करने तथा समय पर प्रेषित कराने में यथाक्रम अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त को सहायता प्रदान करेंगे।

२. इसकी प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये कल्याण विभाग को अग्रसारित की जा रही है।

विश्वासभाजन,
गोविन्द मेहता,
सरकार के उप-सचिव

संकल्प संख्या ३/एस २-१४३/७० —४३८७-का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

संकल्प

पटना-१५; दिनांक ६ चैत्र १८९३(श०) / २७ मार्च १९७२

विषय— अनुसूचित जन-जाति के पदाधिकारियों की प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा का स्तर।

नियुक्ति विभाग के संकल्प संख्या २११७६, दिनांक ७ दिसम्बर, १९७१ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के अवर-उप समाहर्त्ताओं को उप-समाहर्त्ता के पद पर प्रोन्नति देने में कुछ सुविधाएं दी गई हैं। सामान्यतः अवर-उप-समाहर्त्ता से उप-समाहर्त्ता के पद पर प्रोन्नति के लिए उन्हीं के मामलों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने उच्च स्तर से विभागीय परीक्षा पास कर ली है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पदाधिकारियों के संबंध में यह छूट दी गई है कि अवर विभागीय परीक्षा में उच्च-स्तर से इस जाति के उत्तीर्ण अवर-उप समाहर्त्ता पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों तो निम्न-स्तर से उत्तीर्ण पदाधिकारियों के मामलों पर भी प्रोन्नति के संबंध में विचार किया जाए। परन्तु इसके साथ शर्त यह रहेगी कि प्रोन्नत हो जाने पर प्रोन्नति के २ वर्ष के भीतर विभागीय परीक्षा उच्च स्तर से पास कर लें।

२। इस जाति के अवर-उप-समाहर्त्ताओं को प्रोन्नति में जो सुविधाएं दी गई हैं वे सुविधाएँ अन्य विभाग की सेवाओं में जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पदाधिकारी हैं, उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। इससे सरकार की नीति का लाभ अन्य विभागों में इस जाति के पदाधिकारियों को नहीं मिल रहा है।

३। उपर्युक्त परिस्थितियों में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी विभागों में जहाँ कनीय और वरीय शाखाएं हैं या जहां एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति अनुमान्य है और जिन सेवाओं में प्रोन्नति के उच्च स्तर से परीक्षा पास करना आवश्यक है और अवर प्रोन्नति के लिए इस जाति के उच्च स्तरीय परीक्षोत्तीर्ण पदाधिकारी आवश्यकतानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो निम्नस्तरीय परीक्षोत्तीर्ण पदाधिकारियों को भी प्रोन्नति दी जाए बशर्त्ते कि वे दो साल के अन्दर उच्च स्तरीय परीक्षा पास कर लें। दूसरे शब्दों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति के पदाधिकारियों को अन्य विभागों में भी, जहाँ कनीय शाखा में प्रोन्नति देने की सुविधा है या जहां एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति देने की सुविधा उपलब्ध है वहां वही सुविधा दी जाए जो सुविधा नियुक्ति विभाग के संकल्प संख्या २११७६, दिनांक ७ दिसम्बर १९७१ में इस जाति के अवर उप समाहर्त्ता से उप-समाहर्त्ता के पद पर प्रोन्नति देने में उपलब्ध है।

आदेश—अतः आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार / बिहार लोक-सेवा आयोग / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिला पदाधिकारियों / बिहार विधान-सभा / बिहार विधान-परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

गोविन्द मेहता,

सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ३/एस २-१४३/७०—४३८७-का०

६ चैत्र १८९३(श०)
पटना-१५, दिनांक ————
२७ मार्च १९७१

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार / सचिव, बिहार लोक-सेवा आयोग/सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष सभी प्रमंडलायुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, बिहार, विधान-सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद / कार्मिक विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित।

२। सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि अपने विभाग से सम्बन्धित सेवाओं को विभागीय परीक्षा नियमावली या विभागीय परीक्षा सम्बन्धी अन्य आदेश में तदनुसार संशोधन कर कार्मिक विभाग को शीघ्र सूचना दी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गोविन्द मेहता,

सरकार के उप-सचिव।

संख्या ३/एम२-१०१/७३-का०—२२८७

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री ब्रज भूषण सहाय,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक २१ फरवरी १९७३

विषय— आरक्षित रिक्तियों के सम्बन्ध में राज्य विधान मंडल के अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य को सूचना देने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे नियुक्ति विभाग के संकल्प संख्या ९९०८, दिनांक १३ नवम्बर १९५३ की कंडिका ७ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना है जिसमें कहा गया है कि इस कथन को न्यायोचित ठहराने के लिये कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं और इसलिये रिक्तियों को अनारक्षित माना जाय, समाचार पत्रों में

रिक्तियों का विज्ञापन निकाला जाय और ऐसे अन्य सभी अभिकर्त्ता से परामर्श लिया जाय जो इस विषय में मदद करने की स्थिति में हों। यह भी कहा गया था कि नियुक्ति पदाधिकारियों को यदि हो कि अनुसचिवीय / अवर और निम्नकोटीय पदों की रिक्तियों के बारे में निम्नलिखित की जानकारी प्रस्तुत करें :—

(क) राज्य विधान मंडल के ऐसे सदस्यों को, जो अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों।

(ख) हरिजन सेवक संघ

(ग) जिला कल्याण पदाधिकारीगण

(घ) दलित वर्ग संघ

(ङ.) आदिमजाति सेवा मंडल(निवारण आश्रम, रांची)

(च) संताल पहाड़िया सेवा मंडल (देवघर)

(छ) मुसहर सेवा मंडल, रोसड़ा, दरभंगा।

इन संघटनों/व्यक्तियों को यह स्पष्ट बता देना है कि उनका महज कर्त्तव्य यही है कि उपयुक्त उम्मीदवारों की नजर में ऐसी रिक्तियों को ला दें जिनके लिये उन्हें आवेदन करना हो, उम्मीदवारों को ऐसी बातों में सलाह दें जो सेवाओं में भर्ती के लिये परीक्षा में प्रवेश के लिए तैयारी करने में उनके लिये सहायक हों। उन्हें किसी खास उम्मीदवार के दावों पर जोर नहीं देना है। उम्मीदवारों के दावे आवेदन सीधे नियुक्ति पदाधिकारी को उपस्थापित करना है।

२. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की बैठक में ९ फरवरी १९७३ को समिति के अनुसूचित जाति /जनजाति के सदस्यों से यह शिकायत की कि किसी नियुक्ति पदाधिकारी से उन्हें इस तरह की सूचना नहीं प्राप्त होती है। सरकार ने समय-समय पर आपका ध्यान उपर्युक्त आदेश की ओर आकृष्ट किया है। यह बहुत खेद की बात है कि इस आदेश का पालन नहीं होता है, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया स्वयं इस आदेश का पालन सही रूप से करें और अपने अधीनस्थ नियुक्ति पदाधिकारी को ताकीद कर दें कि उपर्युक्त आदेश का पालन निश्चित रूप से करें। उन्हें यह भी कह दिया जाय कि सरकार को अगर इस आदेश की अवहेलना की सूचना मिलेगी तो उनके विरुद्ध सख्त कारंवाई की जयेगी।

प्रतिलिपि—(१) अध्यक्ष अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति को कल्याण समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

व्रज भूषण सहाय,

सरकार के सचिव।

अर्ध सरकारी पत्र संख्या ३/ एस २—१०४६/७२—२१७४८-का०।

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग

प्रेषक,

श्री पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव।

१५ अग्रहण, १८९४ (श०),
पटना, दिनांक ————————
६ दिसम्बर, १९७२।

विषय— लोक उपक्रमों के अधीन नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण।

प्रिय

जैसा कि आपको विदित है भारत संविधान के उपबन्धों के अनुसार बिहार सरकार ने १९५३ में ही अपने अधीन सेवाओं और पदों पर की जानेवाली भर्ती में अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण करने का विनिश्चय

किया था। परिनियत। अर्द्ध-सरकारी निकायों। लोक क्षेत्र उपक्रमों के अधीन सेवाओं में भर्त्ती के लिए ऐसे ही उपबन्ध करने के प्रश्न पर पिछले कुछ समय से राज्य सरकार का ध्यान जाता रहा है। राज्य सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि इस राज्य परिनियत / अर्द्ध-सरकारी निकायों और लोक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिए पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में उन्हीं नियमों का अनुसरण किया जाये जिनका अनुसरण राज्य सरकार के विभिन्न विभाग करते हैं। इसलिए, सरकार चाहती है कि उनके प्रयोजनार्थ सम्बद्ध प्रशासी विभाग उनके नाम आवश्यक निदेश जारी करें। चूंकि इस निदेश का शब्द-विन्यास बहुत सावधानी से करना है, इसलिए कार्मिक विभाग ने एक निदेश-प्रारूप तैयार किया है जिसे आप अपने विभाग के प्रशासी नियंत्रणाधीन लोक उपक्रमों के नाम जारी कर सकते हैं। निदेश प्रारूप की एक प्रति संलग्न है (परिशिष्ट-क)।

२। जिन लोक उपक्रमों के नाम निदेश-प्रारूप जारी करना चाहिए उनकी एक सूची संलग्न है (परिशिष्ट-ग।) यदि आपको पता चले कि आपके प्रशासी नियंत्रणाधीन कोई लोक उपक्रम छूट गया है तो इसे कार्मिक विभाग के ध्यान में लाया जाए।

३। मैं सुझाव दूंगा कि आप पहले उनकी जांच कर लें कि क्या सरकार को अपेक्षित परिनियम के अधीन लोक उपक्रमों को निदेश देने का अधिकार है जिनके द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आवश्यक आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ऐसी स्थिति में आवश्यक निदेश जारी किया जा सकता है। कानूनी नियमों के मामले में, जहां सेवा के नियोजन की शर्तों के सम्बन्ध में नियम बनाने की शक्तियां आदि राज्य सरकार में निहित हो, राज्य सरकार आवश्यक आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन कर सकती है। इसी प्रकार, जिन मामलों में सेवा की शर्त्तों के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित हो, उनमें अपेक्षित अनुमोदन प्रदान करने के पूर्व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए रिक्तियां आरक्षित करने के लिये एक उपयुक्त उपबन्ध के समावेशन को एक शर्त बनाया जा सकता है। यदि सरकार को इन जातियों के सम्यक् प्रतिनिधित्व को करने के लिए निदेश देने या नियम बनाने की कोई शक्ति न हो, तो सरकार को अपेक्षित शक्ति प्रदान करने के निमित्त परिनियम में संशोधन करने के लिए विधि विभाग के परामर्श से कार्रवाई की जाय।

४। यदि आप सरकार के उपर्युक्त विनिश्चय को लागू करने के लिये तुरत कदम उठा सकें, तो मैं इसके लिए आभारी होऊंगा। इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट मेरे पास १५, दिसम्बर, १९७२ तक भेज दी जाय।

भवदीय,
पी० के० जे० मेनन,
मुख्य सचिव।

सेवा में,
श्री ....
सचिव,
.... विभाग।

संख्या..............
बिहार सरकार
कार्मिक विभाग।

प्रेषक,
श्री.........................

सेवा में,
बिहार राज्य के सभी अर्द्ध सरकारी निकायों और लोक क्षेत्र उपक्रमों के मुख्य कार्यपालक।

पटना-१५, दिनांक दिसम्बर, १९७२।

विषय— लोक उपक्रमों के अधीन नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है, भारत संविधान के उपबन्धों के अनुसार बिहार सरकार ने १९५३ में ही अपने अधीन सेवाओं और पदों पर की जानेवाली भर्त्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों

के लिए आरक्षण करने का निश्चय किया था। अर्द्ध-सरकारी निकायों / लोक क्षेत्र उपक्रमों के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए ऐसे ही उपबन्ध करने के प्रश्न पर पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार का ध्यान जाता रहा है। राज्य सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि इस राज्य के अर्द्ध सरकारी निकाय और लोक क्षेत्र उपक्रमों से यह अनुरोध किया जाए कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के लिए पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में साधारणतः उन्हीं नियमों का अनुसरण करें जिनका अनुपालन राज्य सरकार के विभिन्न विभाग करते हैं। इसलिए, निदेशानुसार मुझे कहना है कि आप अपने अधीन विभिन्न पदों पर की जानेवाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय करें।

	अनुसूचित जातियां।	अनुसूचित जन-जाति।
(क) जिन सेवाओं में और पदों पर राज्य आधार पर सीधी भर्ती के जरिये नियुक्तियां की जायें उनके सम्बन्ध में।	१४ परसेन्ट	१० परसेन्ट।
(ख) राज्य लोक उपक्रम/स्वशासी निकाय, जिनकी अधिकारिता एक प्रमंडल या एक जिले में हो उनके द्वारा की गई सभी नियुक्तियां।	(परिशिष्ट "क" के अनुसार)	

टिप्पणी — यदि किसी अर्द्ध-सरकारी निकाय की अधिकारिता किसी खास इलाके में ही हो, जैसा कि नगरपालिका के मामले में होता है, आरक्षण, जिस जिले में वह नगरपालिका अवस्थित हो उसके लिये नियत प्रतिशत के अनुसार होगा।

२। उपर्युक्त आरक्षण निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे :—

(i) स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी गई रिक्तियां।

(ii) ४५ दिनों की अवधि से कम की अस्थायी नियुक्ति।

(iii) नितांत अस्थायी कर्मचारी यानी कार्यभारित स्टाफ, जिसमें दैनिक और मासिक मजूरी पानेवाले स्टाफ भी हैं, तथा

(iv) शोध या शोध के संघटन, मार्ग-दर्शन और निदेशक संबंधी पद।

३। सम्भव है कि कुछेक उपक्रमों और स्वशासी निकायों में पदों का वर्गीकरण राज्य सरकार की सेवाओं में चालू वर्गीकरण के जैसा न हो। ऐसे मामलों में आरक्षण आदेशों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ पदों को निम्न रूप में श्रेणी १, २, ३ और ४ जैसा माना जायेगा :—

अधिक-से-अधिक ९५० रु० से अन्यून वेतन या वेतनमान वाले पद	श्रेणी १
अधिक-से-अधिक ५७५ रु० से अन्यून किंतु ९५० रु० से न्यून वेतन या वेतनमान वाले पद	श्रेणी २
अधिक-से-अधिक ११० रु० से ज्यादा किंतु ५७५ रु० से कम वेतन या वेतनमान वाले पद	श्रेणी ३
अधिक-से-अधिक ११० रु० या उससे कम वेतन या वेतनमान वाले पद (झाड़ूकश श्रेणी-४ में शामिल नहीं किये जायें।)	श्रेणी ४

४। विहित आरक्षण को उचित अंजाम देने के लिये प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी रिक्तियों को आदर्श रोस्टर के अनुसार, जिसमें से हरेक में नीचे वर्णित ५० बिन्दु रहेंगे आरक्षित या अनारक्षित मानेगा।

(क) राज्य स्तर पर श्रेणी १, २, ३ एवं ४ के पदों पर की गई भर्ती के लिए।

(ख) क्षेत्रीय आधार पर एवं श्रेणी १, २, ३ एवं ४ के पदों पर की गई भर्ती के लिए।

आदर्श रोस्टर की प्रति अलग से भेजी जा रही है।

५। रोस्टर विहित फारम में रखा जायेगा। रोस्टर रखने के लिए सविस्तार अनुदेश अलग से भेजे जा रहे हैं।

६। **वार्षिक विवरण** — प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी के बाद यथासम्भव अधिक-से-अधिक पहली मार्च तक हरेक उपक्रम प्रशासी विभाग को निम्नलिखित तथा उसकी प्रतियां कार्मिक विभाग और कल्याण विभाग को भेजेंगे :—

(i) परिशिष्ट "ख" में दिये गए फारम में एक विवरण जिसमें कुल पदों की और वर्ष की पहली जनवरी को प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों द्वारा धारित पदों की संख्या दी जायेगी।

(ii) परिशिष्ट च, छ, ज, ग में दिए गए फारम में एक विवरण, जिसमें कलेण्डर वर्ष में की गई भर्त्ती की विशिष्टियां और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों द्वारा भरे गए पदों की संख्या दी जायेगी।

७। **पदों का समूहीकरण** — एकाकी स्वतन्त्र पदों और वैसे लघु संवर्गों की दशा में जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अंतराल पर रिक्तियां नहीं होती हों, उसी श्रेणी और समान हैसियत के वेतन और योग्यता वाले पदों को समूहीकृत किया जा सकता है ताकि आरक्षण आदेश लागू करने में सुविधा हो सके। किसी सेवा के संवर्ग या कोटि या डिविजन को जिसमें कम-से-कम २० पद हों इसके प्रयोजनार्थ लघु संवर्ग के रूप में माना जायेगा। इस प्रकार बनाये गए समूह में सामान्यतः कम से-कम २५ पद होना चाहिए।

८। **अनारक्षण के लिए प्रक्रिया** — किसी आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित करने तथा सामान्य उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के पहले नियुक्ति प्राधिकारी से वरिष्ठ पंक्ति के किसी पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। उन पदों को अनारक्षित करने के पहले सीधी भर्त्ती कोटा में आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के ध्यान में लाने के लिए निम्नलिखित कारंवाई की जायेगी :—

(i) **समाचार पत्रों में विज्ञापन**—

(क) श्रेणी-१ और २ के पदों और सेवाओं में हुई रिक्तियां समाचारपत्रों में विज्ञापित की जायें।

(ख) यदि नियोजनालय के माध्यम से कोई उम्मीदवार नहीं मिल पाये तो श्रेणी-३ या श्रेणी-४ में हुई रिक्तियों को उन समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाए जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी इसके प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझें।

(ii) **नियोजनालय**—

(क) परिशिष्ट "ज" में दिये गए अध्यपेक्षा फारम में ऐसी सभी रिक्तियां स्थानीय या क्षेत्रीय नियोजनालय में साथ-साथ अधिसूचित की जायें।

(ख) विज्ञापन की प्रतियां क्षेत्रीय या स्थानीय नियोजनालय को भी पृष्ठांकित कर दी जायें।

(iii) **गैर-सरकारी एजेन्सी** — नियुक्ति प्राधिकारी को चाहिए कि वे रिक्तियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित को भी जानकारी दें :—

(क) राज्य विधान मंडल के ऐसे सदस्यों को जो अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र और अनुसूचित जन-जाति निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हों।

(ख) हरिजन सेवक संघ, पटना।

(ग) जिला कल्याण पदाधिकारी।

(घ) दलित वर्ग संघ, पटना।

(ङ) आदिम जाति सेवा मंडल (निवारण) आश्रम, रांची।

(च) संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, देवघर।

(छ) मुसहर सेवा मंडल, दरभंगा।

९। (क) **केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित ऐसी रिक्तियों का विज्ञापन जो कि परीक्षा से अन्यथा सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जाये** — यदि केवल अनुसूचित जातियों अनुसूचित

जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को (और कोई अनारक्षित रिक्ति/रिक्तियों को नहीं) सीधी भर्ती द्वारा (परीक्षा से अन्यथा) भरना हो, तो विज्ञापन निकालकर केवल अनुसूचित जाति और/या अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों से, न कि सामान्य उम्मीदवारों से, आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। किन्तु यदि ऊपर आरक्षित रिक्ति या रिक्तियों में कोई ऐसी रिक्ति या रिक्तियां शामिल हों, जो भर्ती के तीसरे वर्ष में अग्रनीत हों, तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के बारे में ऐसी रिक्तियों के लिए जो कि अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित हैं, विचार किया जा सकता है और जो रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं उनके लिए अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के बारे में विचार किया जायगा। तदनुसार इन आरक्षित रिक्तियों को जो भर्ती के तीसरे वर्ष में अग्रनीत हुई हों भरने के लिए निकाले गये विज्ञापन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों दोनों ही के उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायें किन्तु विज्ञापन में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्ति के लिए अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों पर तभी विचार किया जायेगा जबकि अनुसूचित जातियों के सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल सकेंगे और इसी प्रकार अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्ति या रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार के बारे में तभी विचार किया जायेगा जबकि अनुसूचित जातियों के सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल सकेंगे और इसी प्रकार अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्ति या रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार के बारे में तभी विचार किया जायेगा जबकि अनुसूचित जन-जातियों के सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल सकेंगे।

(ख) <u>आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पुनर्विज्ञापन</u>—यदि उपर्युक्त उप-कंडिका (क) में बताई गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद आरक्षित रिक्ति या रिक्तियों के लिये अपेक्षित संख्या में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों का चयन न हो सके, तो शेष आरक्षित रिक्तियों को पुनर्विज्ञापित किया जायेगा, लेकिन ऐसे अवसर पर सामान्य उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। हां, सामान्य उम्मीदवारों के सम्बन्ध में तभी विचार किया जायेगा जब उनके लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के सुयोग्य उम्मीदवार तब भी उपलब्ध नहीं हो सकें, विज्ञापन मे इसे स्पष्ट कर दिया जाय। यदि कोई सामान्य उम्मीदवार किसी आरक्षित रिक्ति में, इसे अनारक्षित करने के बाद, इस प्रकार नियुक्त किया जाय, तो इस सम्बन्ध में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरक्षण को अग्रनीत किया जायेगा।

(ग) <u>आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार की रिक्तियों में भर्ती करने का विज्ञापन</u>—यदि किसी भी एक अवसर पर आरक्षित तथा अनारक्षित रिक्तियों में परीक्षा से अन्यथा सीधी भर्ती करनी हो, तो ऐसी आरक्षित और अनारक्षित रिक्तियों के लिये एक ही विज्ञापन निकाला जा सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह विनिर्दिष्ट रहे कि रिक्तियां अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित हैं। यदि उपर्युक्त आरक्षित रिक्ति या रिक्तियों में कोई ऐसी रिक्ति/रिक्तियां शामिल हों जिन्हें भर्ती के तीसरे वर्ष में अग्रनीत किया गया हो, तो विज्ञापन में यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि उपर्युक्त उप-कंडिका (क) में बताये गए तरीकों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों के लिये अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने पर ही अनुसूचित जन-जातियों के बारे में विचार किया जायेगा और इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों के लिये अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने पर ही अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के बारे में विचार किया जायेगा। यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने पर कोई आरक्षित रिक्तियां खाली रह जायें, तो उसे सामान्य उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरा जायेगा, बल्कि उसे पुनः विज्ञापित किया जाय और ऊपर की उप-कंडिका (ख) में बताये गए तरीकों से भरा जाय।

(घ) <u>परीक्षा के जरिये सीधी भर्ती</u>—जहां आरक्षित तथा अनारक्षित रिक्तियों में परीक्षा के जरिये सीधी भर्ती की जाय, वहां ऐसी परीक्षा के लिये एक विज्ञापन निकाला जायेगा; किन्तु इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जायेगी और यदि उनके लिए आरक्षित रिक्ति/रिक्तियों के लिये मानदंड शिथिल करने पर भी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों अपेक्षित संख्या में न मिल पायें, तो ऐसी रिक्ति/रिक्तियों को अनारक्षित करने के बाद शेष रिक्ति/रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकेगा। इस प्रकार अनारक्षित रिक्ति/रिक्तियों को, इस सम्बन्ध में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, अग्रनीत किया जायेगा।